THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, I will not allow anybody.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: You are not permitting me. I have a few points to make.

THE: VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You are a disciplined soldier.

SHRI BUTA SINGH: I can only state facts before this august House. I cannot convert inconvertible Upen-draji by any arguments.

SHRI V. GOPALSAMY: What is your reaction to the observations of Mr. Jamir ? You have not replied to that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put ------------ *(Interruptions)*

(At this stage some lion. Members left the Chamber)

The question is:

> That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th August, 1988, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Nagaland. The motion was adopted.

THE DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1988—Contd.

THE VICErCHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now we shall take up the Delhi University (Amendment) Bill, 1988.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajas-than): Sir, I rise to oppose the Delhi University (Amendment) Bill, 1988. The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that the Bill is based on the National Policy on Education, 1986. Sir, I wish to point out that the concept of outonomous colleges which is being sought to be im>-plemented through this Bill is a very modern concept, but it js very premature inasmuch as the existing educa>-tional system leaves much to be desired.

[The Vice-Chairman (Shri Satya Prakash Malaviya) in the Chair]

Before I go into the working of the universities, I would like to point out that the National Educational Policy, 1986, as announced by the Government, is elitist in nature The concept of Navodaya Vidyalayas. which has been enunciated with great fanfare, itself provides for selective education up to the district level. Sir, in. a country where illiteracy is rampant, where what is required is basic education for the masses when the three R's are required to be t I am really sorry that we should try to implement an education policy which seeks to talk in very big terms about modernization of education, of computers and of other modem technology or techniques of education. The Prime Minister himself has talked of pursuit of excellence. But I am sorry that in the existing system we are steeping into mediocrity and worse.

This Bill itself talks of granting autonomy to colleges and the Minister, in his opening remarks, has said that 54 colleges would be given autonomy after this Bill is passed. Now I want to bring it to the attention of the House that there are various colleges functioning in an autonomous manner in States other than Delhi. We were told by the Minister that this provision is there in all the other places. Delhi is one of the universities where the provision is being put now. Before this autonomy is granted to these colleges. We must examine how the colleges are functioning today

My friend, Dr. Ratnakar Pandey from the other side, while supporting the Bill, has made, very good points, pointing out the lacunae in the existing system of education. Malpractices are rampant examination papers are being leaked, the examination

system itself is not rational, with the result that we are producing graduates by thousands, who cannot get jobs. When the 10 plus 2 system of education was introduced a few years ago, we were told that the whole idea was that everybody must get education up to the 10th standard and then, in, the two years, his aptitude could be found out, that for higher aduca-tion only a few people would go and others would get into various vocations and other streams of work. But nothing of the sort has happened. What has it become? It has become a straight 10 plus 5. The name has become different. Now it is Junior College and Senior College. But the pattern remains the same, with the result that education is not job oriented. For Government jobs also the minimum qualification is a degree: in the private sector also the minimum qualification is a degree. And I must say, utterly sorrowfully, that in the cape of most of the students who go' for Arts degrees, what is the content c;' the programme, what is the content of their studies? Somebody studies sociology or psychology or philosophy. He may be good for higher research, he may be good for being a lecturer hut, unfortunately, he does not get a job in commercial establishments.

The entire education pattern today is unemployment oriented. We are getting more and more degree holders, students or people with big ambhions, who feel frustrated and, I must say that this is a basic cause for most of the frustration and the violence that we see around us today. If the youth today are not channelized in the right direction, I am sorry, we are playing with the future of the country.

Bills like this, I do not understand. What is the conception, what is the idea of the Government? I fail even to understand what kind of autonomy they want to give to colleges where basic amenities are still missing. Of course, I must say I am astonished—I am not surprised though—because we have a Government which wants to give us Pepsi-Cola when we do not have drinking water which wants to give us imported motor cars when we need bicycles and public transport system, which wants to give 'us computers when there are no blackboards, which wants to give us m°dern hospitals when people are dying of cholera which is almost extinct from other parts of the world, which promises to give us satellites, INSAT 1C when ordinary trains and planes do not run on time. So, this entire elitist culture is sought to be introduced in education also.

1 am sorry to say, there is absolutely no ground for rushing with this kind of legislation I would support the move tor referring it to a Selecc Committee

What is required is a comprehensive Bill to make education job-oriented. Unless our educational system throws up students or youth who can get set-tied in society, j am afraid the entire system will collapse. But in the statement of Objects and Reasons in a very casual manner we are being told:

"The National Policy on Education, 1986 states that autonomous colleges will be helped to develop in large numbers and that the creation of autonomous departments within universities, *on* a selective basis, will be encouraged."

Now, Sir, I do not understand this. Even universities themselves are hardly autonomous today. There is interference at every stage. Dr. Ratnakar Pandey brought out very clearly the effect of trade unionism which he opposed, which, I don't think, is the real reason. But the UGC is there. The Ministry of Education is there. The present university structure, as it is. needs to work. What we need is efficient working of the present university system rather than superimposing something which is much more modern and which we cannot work. Autonomous colleges will be a disaster be-

[Shri Kamal Morarka]

cause what is required is quality of people. If the quality of our professors and lecturers is not good, no amount of restructuring is going to help education. If the basic character of the people involved in the system does not' help the students to motivate the sudents towards a purposeful life, only going to have drag-running, drug-addiction and then we will get into de-addiction camps and a^ that sort of thing. I really fail to understand. The National Education Policy itself is elitist What are the Bills based on 'hat policy going to create? They are only going, to create, as Dr. Poddar pointed out very rightly, only caste in colleges also. Some v.ili be very superior colleges. Some will be inferior colleges. Certainly, that is not the aim of the Government Our avowed policy, even the policy of tha ruling party is oriented towards social justice, towards a new socioeconomic order. But, I am afraid, with Bills of this kind We are trying to accentuate and institutionalise the differences between the elitist people and the ordinary people.

Ihere was a time when we were hearing in the country that public schools would be abolished. But today the time has come when public school -education is looked up to. Those of us who are not from public schools probably have no place in the scheme of things. I do not know in which direction we are going We talk of one thing, and we try to do exactly the opposite, Of course, a legislation comes and obviously gets passed. But its effects are far-reaching for decades to come.

I just wish to point out one or two points:

The quality of education in the present educational system needs to be improved, number one.

Number two, we should hold back autonomy till such time when the existing system- works efficiently, free from corruption, free from malpractices largely.

thirdly, the entire concept of elitist education, even if there is higher education, even if there is modern education, should be strictly based on merit. Today that does not happen. Today all over the country in every State we find people who.have got less marks are able to muscle through by one means or the other into the engineering colleges, medical colleges. About the marks system, I am astonished to see that when we were students, 60 per cent marks were considered good marks and 70 per cent, distinction, but today students with 80 per cent marks are not getting admission. What are we trying to do? We are trying to promote a general culture of mediocrity, of corruption, The entire educational system is under strain. Ask any student today. Good students are having a bad time. The average student of the medicore student whole parents are rich are influential, is able to muscle through and get a degree which in any case he does need because ultimately foe is going to live off father's money. So, what is exactly happening is, competent people are getting frustrated. If the educational system cannot rectilfy that, I do not see any reason why they should go on introducing Autonomy in colleges.

The last point which 1 want to make is that the university—i stay in Bombay, so I can talk of Bombay University—standards which were there ten to fifteen years ago are not seen these days. Why is it so? The reason is that even in the UnivertSity management level, politics has come in even for appointment of Registrars, Vice-Chancellors etd. This never used to be so earlier. Once upon a time in the Banaras Hindu University Madan Mohan Malaviya was there. At that time education was above politics But today even education is very political; even all the professors and all the principals are attached to political parties, not only the students. With this kind of atmosphere in a country where the Guru

is supposed to be regarded even higher than God, in a country where the tradition has taught us to respect the Guru, what is the respect for a school master or a college teacher today? Even the student has no respect for him. It is not because there is something wrong with the teaching staff, but it is the system which is pushing the mediocre people into the teaching line. Good people do not want to came into the teaching line, because the entire system is under strain. I am afraid this kind of legislation is not going to take us anywhere. Therefore, this Bill should be referred to a Select Committee not only for the provisions which the Government is proposing, but also to have a de novo look at the entire university education system.

SHRIMATl PRATIBHA SINGH (Bihar) I rise to support this Bill. This Bill is in implementation of one of the proposals...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : आप तो हिन्दी में बोलिये न।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : ऐसे तो हिन्दी म भी बोल सकती हूं, लेकिन बोलने दीजिये।

In the programme of action in the National Policy on Education, it says:...

श्री राम अवधेश सिंह हिन्दी में बोलिये न, अच्छा लगता है ... (व्यवधान) ... देश कैसे बचेगा ? आप बिहार से आती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : बिहार के लोगों को तो और भी अंग्रेजी में बोलना चाहिये, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि बिहार के लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है और मैं अंग्रेजी बोल लेती हूं, बिहारी होते हुए भी।

It says a number of autonomous col leges are to 'be established. Some of the untversities have already got this power. Now, the Delhi University is also going to have this power. I

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, जो आदमी जिस भाषा में जनता से वोट मांगता है, उसी भाषा में उसको बोलना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : राम अवधेश जी, आप हिन्दी में बोल लीजियेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : जो आदमी जिस भाषा में वोट मांगता है, उसी भाषा में नहीं बोलता, तो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है... (व्यवधान)..

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : वोट एक ही भाषा में मांगते हैं या सब भाषा में मांगते हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैं तो कहूंगी, कि आप भी अंग्रेजी में बोलिये।

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो गलत बात है ... (व्यवधान) ...

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह (महाराष्ट्र) : धन्य है, वह जनता जिसे हिन्दी भाषा समझ आती है।

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: It is to lay down the curriculum, courses off study and system of examination. Now, the teachers have no freedom to depart from the dictates of the higher authori-ities. That is why I am convinced that this Bill is going to be a step forward in.
the educational system. That is why I am supporting this Bill.

The teachers cannot prescribe courses which they think fit in the interest of the students. The result Of the present system is that it has produced book-oriented, subject-oriented and examination-oriented students. Is that our aim? That is not our aim. If we want to be at par with all the developed countries and the way they

[Shrimati Pratibha Singh]

are going in science and technoloby and medicine, we have to have a new system of education. That is why this Bill to give autonomy to the colleges. Since this evil has got to be eliminated para 8 of | Chapter 5 of the Programme of Action of National Education Policy states that in the Seventh Plan period we will have at least 500 autonomous colleges. It has also laid down and taken care to evolve a suitable .. *(Interruptions}* .. frame work for autonomous colleges.

श्री राम अवधेश सिंह : हिन्दी इलाके के होते हुए भी आप अंग्रेजी में बोल रही हैं, इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट कर रहा हूं।

[इस अवसर पर माननीय सदस्य सदन त्याग कर गए]

!

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Sir, the University Grants Commission has given Rs. 5 lakhs additional to strengthen these autonomous colleges This is quite a substantial sum though for education it may not be enough. But additional Rs. 5 lakhs is something very good and this will strengthen the autonomous colleges. Then, the University Grants Commission had laid down guidelines for the selection of autonomous colleges. So far as this proposal is concerned, it is very legitimate. ' But my only point is that the status of an automous college is a double-edged sword and, therefore, we have to be very careful. There are weakness to which these colleges can easily succumb which the Government has to guard against. They can be successful only if teacher, Students and the management, all the three agree to work in harmony and unitedly because they have to design new courses, new methods of education, new learning materials have to be produced and used meaningfully

Sir, teachers will have to pay individual attention to students. They will have to organise tutorials. They will have to give projects. They will have to organise seminars. They will have to have individual consultations imaginative programmes of teaching and learning. Then, only the autonomous colleges will have meaning and will be able to do for what they are meant to do.

May I know from the hon. Minister whether the implications of the new methods have so far been studied by the University Grants Commission? This is very important. What art the implications!? How they , are lier, the teachers require tremendous going to affect the students, teachers and the management? As I said earlier the teachers[1] require tremendous help if they have to succeed in produc ing new learning materials both in the context of designing new courses of studies and employing new methods of training. I will give you a very small example. Suppose there is a History subject. Now what has happened? So far, it is providing chro-r.clogy of dynasty, wars, events, etc, and it becomes very boring for the students. Now, what we have to do is that we have to weave a story of the development of multi-sided cuL-' ture in which, there is intimate interaction between a few individuals who have been the leaders of the time and the masses at that time. This will mean re-writing the whole history. This can be done with the other subjects also. So a new orientation is necessary in the teachers also. Therefore, this requires a large number of experts and institutions. What I mean to say is that the University Grants Ccmmission may set up a number of groups engaged with the task of preparing alternative syllabus, • teaching and learning mattrials, if we want to have some definite results for which We have brought forward this Bill. Sir, this is about teachers.

As I said in the beginning teachers, students and the management, all the three have to cooperate. Now,

these students have to be motivated to learn and progress. They have to be seekers of knowledge and values. Today, the values have all been wiped out and, Sir, with this, it should also be connected to gear up self-employment because after passing, the frustration in the students is so big that actually we are not progressing, the country is not progressing as it should have been; plus the unemployment problem is becoming bigger ana bigger. Therefore, the whole thing has to be geared up in such a way that it gives incentive and encouragement and gives a new thrust in the eyes of our boys and girls, both men and women. Sir, the students must get right type of atmosphere and environment so that they are enthused to work seriously and make progress.

So far as the management is concerned, Sir, they have also to play a vtry great role for fostering and supporting innovations in education because the management is going to be given *so* many rights. They are going to be the policy makers in their colleges. Therefore, they must feel committed in education. They must have knowledge of the new experiments in education in the world of today, that is, what the other countries pre doing in the field of education, what our own country is doing in the field of education and for all this, the UGC or the Human Resource Development Ministry, I would like to say must make plans to provide facilities to the members of the Board of Management to have right understanding of the needs of innovation and therefore _ the Board of Management must be constituted of such members who are experts.

I would also ask, Sir, has anyone made any list of innovations . that have been made in the educational field? Is there any list? I would also liM to know, Sir, has anyone published this study made in the field of education, of the innovations made in India or elsewhere ? Therefore, Sir, I make a few suggestions while supporting this Bill. They are, number one, the University Grants Commission should set up a Board of Experts who would have a great expertise in designing courses and in the employment of new methods of education. Secondly, this board should be in charge of monitoring the working of the autonomous colleges in the country. In doing so, its task should be to encourage and help management teachers and students in pursuing innovative methods of teaching and learning. The board should have power to constitute groups of experts in various subjects who can bring various types of syllabi which would encourage alternative new methods of learning various subjects of study. Fourthly, the board should have also the power of publishing those . alternative syllabi and the corresponding learning and teaching materials. Fifthly, the board should have the power of recommending financial help so as to enable it to encourage dissemination of information of innovative methods of teaching and learning. These are the five suggestions for the consideration of the Ministry and in the end, Sir, I would Siso like to caution the UGC and the Human Resource Development Ministry that they will guard against the autonomous colleges becoming money-minded either through capitation fee or through donations. I know that the hon. Minister is fully aware of how big these donations and capitation fees are. And the brilliant students from the economically weaker sections of the society are today not able to take advantage of the facilities which are available in this coun-try whether they are in medical science or in engineering or in any other field of science and technology. And therefore. Sir, I would request that it must be guarded. This is a very good Bill. I said about some weaknesses, no doubt. But this is a very good Bill because it gives freedom to the teachers to act, freedom

[Shrimati Pratibha Singh]

to the students to work hard. Everybody in autonomous colleges is required to work very very hard. Unless they work hard, unless the management is committed to the good for which we are bringing this Bill, we will not achieve the targets for which we have brought this Bill. This is a very good Bill and I congratulate the hon, Minister on bringing this Bill for giving autonomy to colleges because we must improve so far as the educational system of our country is concerned so that our students do not need to go and take shelter in foreign countries and study and stay on there. I would like the brilliant people of this country to study here and to give their best to this country.

With these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I commend that this Bill be referred to a Select Committee as proposed by Shri Satya Prakash Malaviyaji. If I commend something, naturally, I must be in a position to tell the reasons. The reasons will be in terms of the specific Act, namely, the Delhi University Act. It is pertaining to the Delhi University. What is the situation prevailing in Delhi University? We must first consider that. Secondly we should consider what is that which has occasioned this concept of) autonomous colleges.

Sir, Delhi University i_s an institution which is suigeneris. It is a very interesting federal institution. The colleges in Delhi University, over the years, have developed an ethos and a philosophy which, have been guiding Delhi University for quite some time. But, as I understand, this particular Bill which is before us for discussion, does not take into consideration the views of several categories of people who are connected with Delhi University. For instance, Sir, the Delhi University Teachers Association, is trying it_3 level best to be in touch with the Minister for Human Resource Development and to discuss the implications of this Bill. But unfortunately it. could not get time for it from the Minister for Human Resource Development till yesterday morning 10 O'clock because the Minister came only in the afternoon at 4 O' clock. Secondly, enough public opinion has not been elicited from the people in Delhi with regard to the concept of autonomous colleges in Delhi University. There has not been any discussion. There has not been any debate, even among those who can contribute to the understand-i ing of the university system. Therefore, in the first place, there has to be consultation with the Delhi University Teachers Association and those who can contribute to the understanding of the university system in Delhi. Having stated this, I will go to the more substantive aspect of it. When I speak on this Bill, I speak out of an experience intimately connected with the concept of autonomy. Before I had the privilege of coming to this House, from 1980 to 1983, for a period of over three years and a few months, I happened to be Dean, College Development Council, Osmania University. During that period we had tried the concept of autonomy in that University. I would like to tell this august House that the concept of autonomous colleges did not emanate mainly because of the National Policy on Education. It actually had its bearings in the Kothari Commission which took shape in the Sixth Plan period itself. There were, I remember, 23 autonomous colleges in operation in the country at the beginning of '80s. As Dean of the College Development Council and the then Vice-Chancellor who happens *to* be the Vice-Chancellor of the University in Delhi, the two of us had occasion not merely to study our own colleges but also to visit places where autonomous colleges were in operar tion, namely, in Madras, in Tamil Nadu: the Layola College, Madras,

the Madras Christian College, Avina-shalingam Chetty College in Coimba-tore, the American College in Madurai, Vivekananda College in Madras, and so forth. Therefore, - when I am speaking on this particular aspect of autonomous colleges, I am speaking with an experience which I had gained while working in that capacity. What are the three important things which autonomy is supposed to give? It gives power to determine its own courses of study and syllabi. Secondly, it prescribes rules of admission subject to the policy of reservation. Thirdly, it evolves methods of evaluation and conduct of examinations. If I remember correctly, during the Sixth Plan period the amount that was available for experimentation with autonomy wag Rs. 1 lakh for each college in addition to what they would have normally got by way of grants in their own university systems. Probably the amount has now been enhanced to about Rs. 2 lakhs—I am subject to correction. In the prescription of syllabus there are three bodies: the board of studies, the faculty and the academic council. The board of studies consists of those who are engaged in the teaching of the particular subject spread either in the university system or in the college system of the university. In addition to that there i_s association of others who have gained expertise in that particular subject who are spread in the country as a whole. One difficulty which I have been experiencing in the university system today is the gradual discouragement which is shown to the concept of teachers from distant universities being associated with it mainly because of paucity of money which is hampering the educational growth in the university system. Similarly, I belong to Osmania University, Hyderabad. I had at one time the privilege of being on the academic council of Kerala University, on the academic council of Annama-lai University in Tamil Nadu and oh the academic councils of some other universities in Andhra Pradesh itself. Since those times things today have become so difficult that even persons within the State or persons who are outside the district, if they have to be associated, there are difficulties because of finances. Therefore, if we encourage autonomous colleges and if there have to be experts associated with the boards of studies, the faculties and the academic council of the autonomous college, I would like to ask the Minister what specific provi-. siong have been made to meet the additional requirements of this.

4.00 p.M. Sir. in the name of autonomous colleges, let us not again have an adventure into 'tokenism' and *ad hocism.*

What is now being attempted is tokenism and *ad hocism.* We would like to show to the world at large that we have gone ahead with the concept of autonomous colleges where people decide their own courses of study, where they decide about their own way in which they would teach the subjects and so on and so forth. But, beyond that, it will not serve the purpose with regard to this particular j limitation which I was mentioning.

The second type of limitation which is now coming up is the type of I media of instruction which is available in the different University sys-tems. Unless we have made enough efforts to improve the instructional ability of the different media, different languages, unless we ' have built-in literature which is needed in these different languages, there will be difficulty,... *(Time Bell rings). .I* am, on j my first point only. Anyway, since you have rung the bell, I will go to my next point.

The other point is about evolving methods of evaluation and conducting -exarrinations. As you are aware, the University Grants Commission attempted several methods of evaluai-{tion. In fact, they had identified eight Universities in the country, the

[Prof. C. Lakshmanna]

Andhra University at Waltair being one among them, where they wanted to have an experimentation in the methods of evaluation. Sir, it is true that the system which we are having now, which is in vogue now, in the different Universities and colleges in the country is through awarding of marks. Awarding of marks is an attempt to precisely evaluate the worth of a student in terms of his acquisition of knowledge in that subject. It is supposed to be the best way of doing things. But it is very difficult. Even in science subjects it becomes very difficult lor anybody to say that a candidate is 46 per cent worth or 66 per cent worth or 76 per cent worth. . Therefore, one more attempt was made and that was to have a grade system and, under this system, i boy is of a grade, of a range, that is, he is A Grade or A plus Grade or B Grade or B plus Grade and so on and so forth. This was one attempt. The other attempt was to give the evaluation responsibility to the one who is teaching and it is a sjstem which is known as the internal evaluation system. Not only these eight Universities, but quite a few other Universities also experimented with the internal evaluation system. 1 happened to be the Principal of the University College of Arts' and Social Sciences of the Osmania University immediately after the Emergency and I still vividly remember the nightmarish days I had to spend as Principal in respect of this internal evaluation system when' people were trying to bargain for marks. It is because the worth of a candidate' or student is ultimately decided fn terms of the grade that he gets, in terms of his acquisition which has been shown in the papers. The University system found it very difficult and one by one all the Universities of the country including the eight Universities, where large amounts were spent on experimenting with evelving evaluation methods and examination reforms, could not succeed im this. When that is the case,

I wouild like to ask the Minister for Human Besource Development: Have you givtoi considerable thought to this? I d« not think so., if you had given considerable thought to this question, as has been pointed out earlier, 1 would like to say one thing. I am not going into the question whether it is going to lead to elitism. At present that is not the question. I may be one who stands by the principle that) it produces elitism and So on. That is beside the point now. Even without going into that question, I would like to ask whether this particular issue has been considered in terms of the facilities that are available or not. Yes, Mr. Poddar was saying that he had under his control about 200 colleges and they wanted to confer autonomy strictly within the prescribed boundaries of norms that have been laid down. It was with great difficulty that we could inden-tify. Out of five, only three accepted and they also did not implement.' , The Madras; University and the Madurai Kamaraj University had the largest number of autonomous colleges. In these two universities also the experience has been what I Have stated. Therefore, what is that we want to rush through? Why are we so keen about this concept of autonomous colleges? There is another problem. All over the country, whether it is Uttar Pradesh or Andhra Pradesh, there have been concerted efforts made to have a core curriculum which is common for the entire university system there, such as Lucknow University, Allahabad University, Gorakhpur University, Agra University and all that. They wanted to have common core syllabus in the Osmania University, Andhra Pradesh University, S. K. University and all of them. They -wanted to combine them and to have a core curriculum. It is because of the transfer of students. It is because of the transfer of the parents. On the_one hand, there is a concept of autonomy so that each college is able to' have its courses of study and prescribe its Own courses of study On the other

hand, in the same breath, we are saying that there has to be core curriculum and common syllabus for all the students. Therefore, before we think in terms of autonomous collages, should we not have a discussion in several universities in the country, including the Delhi University, as to what is the syllabus pattern that has to emerge? Therefore, even from that point of view, I feel that there is need for cool consideration taking different viewpoints into account. Only then we can come to a conclusion. Let us not rush through it.

Universalisation of elementary education is one point about which you had at least three discussion in the previous and pitevs iouis to that session. I have been requesting to tell me about the formal system and the informal system on which the previous Minister of Human Resource Development placed so much of importance. Have we been able to make a dent in expanding the base of the universalisation of elementary education? Therefore, every pie, every rupee and any amount that is used for such fashionable programmes will have to be ploughed, first of all, in giving the basic education and in increasing the literacy level from 36 per cent. This has to be done first.

Secondly, Sir, what is the avowed objective? The avowee objective of the autonomous colleges ig to build oasis of excellence or islands of excellence. It will widen the glittering cleavage which exists between the normal or ordinary college in a far off place, in a distant place or in a far nook and cornor of the State. Therefore, let us not merely try for islands of excellence which can insulate themselves. When one is insulted and tries to live in an ivory tower with a built-in pride and egoism, there will be greater harm done to the education system in this country then what has been done so far. Any attempt which creates a cleavage between one level and other level, between the students or between the universities is dangerous and then we have to take special precautions. In that light, I would like this particular Bill to be referred to a Select Committee. It is not just to prevent you. It is not just to postpone things. It is not just for deferring things. It is merely to provide the necessary expertise that is available and in order to have a look at these things from that point of view. Therefore, I request the Minister not to stand on formalities, and refer this to a Select Committee. And let the Select Committee solicit public opinion. Let the Select Committee go before the people who will be affected by it. In spite of that, if they feel it, that is a different matter. So, Sir, I once again comend that this Bill be referred to a Select Committee. Thank you, Sir.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, change is the law of life. Shakespeare, Tennyson and Thoreau have all proclaimed that in different forms and in different contexts.

Sir, realising the need to bring about a change in the educational system, one of the 'very first tasks that the Rajiv Gandhi Government assigned to itself was the formulation of a New Education Policy. And it was adopted by the Parliament after a fairly satisfactory national debate. I don't wish to go into the various aspects of the New Education Policy or of the general health of educat ion in the country. But one salient feature of the New Education Policy which I must acknowledge is that it has rightly taken note of.................

श्री राम ग्रवधेश सिंह : प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है, मान्यवर, यहां कोरम पूरा नहीं है, कोरम की घंटी बजनी चहिए। ....**(व्यवधान)** मान्यवर, बिना कोरम के क्या कार्यवाही चल सकती है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): ग्रापने ध्यान ग्राकर्षण कर दिया, वह ख्याल रखेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं-नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं और आप व्यवस्था दीजिए कि बिना कोरम के क्या सदन की कार्यवाही चल सकती है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : बहुत सी कवेंशन्ज हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : कवेंशन से क्या है, बिना कोरम के क्या कार्यवाही चलती है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : बहुत सी परिपाटी है ।

PROF. C. LAKSHMANNA: The convention is that we should not raise it. Once it has been raised, I think, we will have to look for the quorum. There is no alternative.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप साही जी जरा कहिये कि मैम्बर्ज को बुला लें।

You continue, Mr. Bansal.

श्री राम अवधेश सिंह : आप कोरम की घंटी बजाइये ।

PROF. C. LAKSHMANNA: Either we take cognizance of it or we do not take cognizance of it. If we take cognizance of it, we will have no alternative. I wish it had not been raised. Having been raised. ..

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : वैसे यह क्वश्चन कभी उठता नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : लेकिन अब उठ गया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The convention in this House is that nobody raisesthe point. But it is okay with us.

श्री सीताराम केसरी : : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला हो चुका है कि यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि यह कन्वेनशन की बात है, उसमें होता क्या है, मान लीजिये कि बाहर मैम्बर बैठे हैं, वोटिंग के लिये, तो ठीक है, लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी यह कोरम का प्रश्न ऐसे टाइप पर नहीं उठता है, जबकि बहस हो रही है या चल रही है। यह भी कभी बाहर जाते होंगे और लोग भी जाते हैं । मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप इसको जरा बताइये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : केसरी जी, ऐसा है कि यह बात ठीक है कि इस प्रश्न को उठाया नहीं जाता, पारिपाटी यह है, लेकिन यदि कहीं किसी सदस्य ने उठा लिया है, तो उसका पालन तो करना पड़ेगा । मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री एफेयर्ज से मेरा निवेदन है कि कम से कम जो सदस्य हैं, उनको इस तरह की तागीद कर दें कि कम से कम जो सरकारी काम-काज है वह पूरा हो, इसलिये भविष्य में ऐसा मौका ही न दें कि कोई सदस्य इस प्रश्न को उठा सके ।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सुझाव है । पक्ष को तो आदेश पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर दे देंगे लेकिन विपक्ष की भी कोई साझा मीटिंग बुलाकर उनको भी कह दिया जाये क्योंकि वे अति व्यस्त हैं संसद् के बाहर के काम में ।

PROF. C. LAKSHMANNA: It is not good to reflect so.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I was saying that the new educar tional policy rightly takes note of the reports of the Education Commission and articulates the need to develop autonomous colleges in the country because it has been felt and experienced that the fastidious rules that govern the functioning of colleges hinder the academic pursuits. Shorn of innovative approach and any freedom to devise its own mode of work-

ing in accordance with the local or specialised needs, a college is often reduced to a cog of the wheel churning out graduates with half-baked degrees. This only results in swelling I the ranks of those uneducated literates whom frustration takes over once they realise that these degrees do not help them to secure any jobs and that they find themselves unequipped to face the challenges of life.

Sir, it was to make education more purposeful that the idea of autonon> ous colleges was perceived. As such. in principle, I support the Bill. But I do have some doubts and apprehensions about the implementation of the new provision. The existing provision of clause 9A of Section 4 of the Delhi University Act, 1922, relates to the conferring of autonomous status on some professional colleges. And as the hon. Minister rightly said in his opening remarks yesterday, the provision is restrictive and had to be widened. But, Sir, it is here precisely that I do wish to express some random thoughts that occur to me. One, the existing provision postulates that the consent of the college is necessary and second, that the extent of autonomy and the mode of granting this status and various other cognate matters would be 'governed by the statute of the University. Somehow, the new provision which is sought to be now included in the Delhi University Act completely waives this despite the recognition, the acknowledgement, of the need of having such criteria fixed as said by the hon. Minister yesterday.

Sir, we were told by the hon. Minister that the UGC has formulated detailed guidelines on a scheme of autonomous colleges and these guidelines would include, *inter alia* the freedom to frame their own curricula, the freedom to frame the courses of study and to evolve a system of evaluation and besides that, the guidelines, we are told also, indicate the criteria to be applied for selection of colleges, the procedure for conferring autonomous status, for governance of autonomous colleges and for devising a system to monitor their performance. These are vey important aspects of the matter. But my submision is that without including these in the main Act itself, I do not know how delegated legislation would be enacted to give powers to the University, or, for that matter, to the UGC, to enforce these different aspects of the guidelines prepared by the UGC.

Sir, the omission of the proviso to the existing clause (9A) gives unbridled powers to the college manage-ments, sme of whom, in a given situation, may invoke their autonomy not for improving the academic standards but for victimising the staff. To obviate such an eventuality, a clear statutory rider needs to be placed on the exercise of such powers. I do not wish to encourage the teachers going on strike or resorting to demonstrations. But at the same time, we must not forget that it is the sacred duty of the society not to deprive the teachers of their rightful dues and make them vulnerable to the whims of the managing committees.

Another very pertinent question which arises in this case is that, a fear has legitimately been expressed that thisstatutory objective of granting autonomy to colleges may not, in reality, degenerate into that of bureaucratisation of the managing committees. "We presume that a package, as we may call it. would be prepared by the UGC as far as the governance of or the assistance to the various colleges is concerned.

If we were to take the three forms of college managements that presently exist in Delhi, we would see that a vast majority of the 54 colleges is managed by the Delhi Administration. Some are maintained by the University . . *(Time bell rings) and* some are privately run; that . -he managing committees oi these

[Shri Pawan Kumar Bansal]

colleges consist of trusteesof the trusts running these colleges. I would like the hon. Minister to clarify whether there is any proposal to depute some representatives of the UGC to the managing commitees of these colleges. If that is done, Isuppose, we will be countering the very objective of granting autonomy to colleges.

Finally, because of the reminder by you about the time, I would like to take this opportunity to say that it should also be mandatory for every college to prescribe a minimum period of work under the National Service Scheme, and the NCC training that a student, has to undergo. Also the colleges should have to participate meaningfully in the National Literacy Mission which is a movement as distinguished from any other programme launched by Shri Rajiv Gandhi, to fight and banish illiteracy from amongst the vast multitudes of Indian people. This may be the expectation of all the countrymen from the various colleges—to provide extension programmes for imparting functional literacy to those hapless and unfortunate brethren who have not had the opportunity of education earlier during their childhood. But if we were to leave the matter entirely to the colleges concerned, some colleges may, for rear sons best known to them, be oblivious of this national duty. So while I commend the intention of the Government to provide autonomy to the colleges, I take this opportunity to say that such autoonomy should be confined only to the creation of an environment conducive to the pursuance and attainment of excellence, to the innovation of various means to provide the best form of education. But in no case should the autonomy mean either a complete licence to the management or an undue say to the UGC to interfere in the management of the institutions. In this context, as a passing reference, I would also say that when we talk of the need to change and reform the educational system, there is also a definite need to go in for a dispassionate appraisal of the working of the UGC itself and see as to what can be done to make the UGC not just a funding agency but a veritable partner in the nation's progress.

Finally I would only say that the Delhi University is a premier institution in the country and in consonance with its hoary past, it has to work as a model for other universities and set examples for other universities to emulate. Any step which aims at assisting the University in this endeavour must have the support of all of us.

श्री शंकर सिंह वाघेला (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, जैसा हमारे साथी श्री कमल मोरारका और प्रोफेसर लक्ष्मन्ना ने कहा कि इस बिल को, श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी का जो एमेंडमेंट है, सैलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस बिल को सैलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाना चाहिए।

सर, स्वायत्तता बहुत अच्छा शब्द है, वांछनीय है, इच्छनीय है लेकिन इसका भी कुछ मतलब होना चाहिए। क्या हमारा यह शिक्षा मंत्रालय सही अर्थ में एटानोमी या स्वायत्तता की बात सोच रहा है। शब्द का भी अर्थ होता है। शिक्षा मंत्रालय का नाम आपने बदलकर ह्यूमेन रिसोर्सिज डेवलपमेंट जिसमें ह्यूमेन रिसोर्स की बात होगी लेकिन शिक्षा की बू तो नहीं आती। स्टूडेंट ह्यूमेन नहीं बना, तो यह शिक्षा मंत्रालय जैसे ह्यूमेन रिसोर्सिज डेवलपमेंट नाम रखने से उसमें शिक्षा दब जाती है। अभी मैं कहीं जा रहा था, मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा— इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। फ्री का मतलब मुक्त होता है, ओपन का मतलब खुला होता है, इसलिए स्वायत्तता का भी कोई मतलब है तो क्या है ? क्या आपका सही उद्देश्य विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देना है ? अगर सही उद्देश्य है तो सन् 1966 में कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि कालेजों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए तो आज 25 साल के बाद भी

आपने कितने कालेजों को स्वायत्तता दी ? क्या कमीशन की सिफारिशें ऐसी ही थीं या हम गंभीर नहीं थे, सीरियस नहीं थे ? 25 साल के बाद जहां 5 हजार कालेज हैं वहां आप 82 कालेजों को आटोनोमस दर्जा दे रहे हैं । इसमें भी लाभ उन लोगों ने लिया है जो कि या तो अल्पसंख्यक हैं या प्राइवेटली मनेज्ड कालेज हैं, तो आपका आटोनोमी के बारे में क्या ख्याल था कि आज तक आप उसका ऐक्जीक्यूशन नहीं कर पाए ?

उपसभाध्यक्ष जी, शिक्षा की जो दिशा है मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है । शिक्षा के बारे में जो 'इन टोटल' सोचकर कल का जो नागरिक होने वाला है, जो कल का पोलिटीशियन होने वाला है, बिजिनेसमैन बनने वाला है, कल भारतीय बनने वाला है क्या उसकी भारतीयता के बारे में, नेशनेलिस्टिक स्पिरिट के बारे में आपने विचार किया, शिक्षा की सही दिशा उसको दी ? परिणाम क्या हो रहा है कि आज स्टुडेंट्स के नाम पर खालिस्तान की बात सबसे ज्यादा करने वाला सिख स्टुडेंट फैडरेशन है, जहां भी स्टुडेंट अनरेस्ट होता है वहां स्टुडेंट पहले आता है । तो स्टुडेंट को सही दिशा देने की कोशिश नहीं हुई । आपने इस ढंग से विचार नहीं किया जिसके परिणाम हम भुगत रहे हैं । न केवल स्टुडेंट्स बल्कि टीचर्स भी आपने ऐसे तैयार किए हैं कि जब परीक्षाओं का समय आता है तो वे हड़ताल करते हैं । हमारे गुजरात में परीक्षा की तिथि तय हुई तो टीचर्स ने हड़ताल कर दी । टीचर्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है सिक्युरिटी के मैं हक में हूं लेकिन परीक्षा के समय हड़ताल उचित नहीं है । यह तीर्थ भूमि है, उसके लिए उनको जिम्मेदार होना चाहिए । छात्र 80 परसेंट परीक्षा में कैसे ला सकता है । 10 हजार या 20 हजार देकर 90 परसेंट कैसे ला सकता है, कैसे ऐक्जामिनर को पैसा देकर चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इलेक्ट्रानिक्स हो, इसमें एडमीशन लेने का वह मैनेज कर लेता है । जितने पोलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वे भी टीचर्स या स्टुडेंट्स को कंट्रोल करते हैं । तो जब दूसरे पर कंट्रोल करने की नीयत होगी तो स्वायत्तता कैसे रहेगी ? यू० जी० सी० उसके ऊपर बैठा है, शिक्षा मंत्रालय उसके ऊपर बैठा है, सब तरह के पोलिटिकल अपाइंटमेंट्स चाहे वी० सी० हो, हैड आफ दि डिपार्टमेंट हो, होते हैं तो यह इलेक्शन कमीशन की तरह बन गया है, तो कैसे आप आटोनोमस कालेजों को बनाएंगे ? जिस ढंग से यू० जी० सी० की शिकायत होती हैं, जितने भी चांसलर्स हैं जिनके ताल्लुकात यू० जी० सी० से हैं वे जानते हैं । आप सबकी कांफ्रेंस बुलाइए, उनसे पूछिए कि कालेजों को किस तरह से आटोनोमस बनाया जा सकता है, किस ढंग से उनको साइंटिफिक बनाया जा सकता है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में मदद मिल सके ? न कि पोलिटिकल एंगल से । शिक्षा मंत्रालय हमारे जो सरस्वती मन्दिर हैं इनको अगर सही ढंग से रखे तो अच्छा होगा । इससे भावी पीढ़ी को लाभ होगा । आज भावी पीढ़ी के बारे में आप देखिये कि जितने भी कालिजेज से निकलते हैं उनको अनएम्प्लायमेंट के सिवा कुछ नहीं मिलता । कालिज बेकारों को पैदा करने की एक फैक्टरी है । इससे जो निकलते हैं वे अनएम्प्लाएड रहते हैं । जैसे किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है यह भी उसी तरह से है । अनएम्प्लाएड यूथ अनरेस्ट करेगा । अनएम्प्लाएड को नौकरी देने के लिए आपके पास जगह नहीं है और न आपने इस किस्म की पढ़ाई कराई है जिससे वे देश की या समाज की सेवा में लग सकें इसलिए ये दिशाविहीन स्टुडेंट्स हैं । ये दिशाविहीन स्टुडेंट्स क्या करेंगे ? आपको जो सही ढंग से सही दिशा देनी चाहिए वह नहीं दे रहे हैं । उन स्टुडेंट्स में न राष्ट्र प्रेम है और न उनको अपने पर भरोसा है । इस बारे में आपको कुछ सोचना चहिए । कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ।

स्वायत्त कालेजों की स्वायत्तता सिर्फ शैक्षिक स्वायत्तता तक सीमित नहीं रहेगी । वह इससे आगे बढ़कर प्रशासनिक स्वायत्तता में ढल जायेगी । परिणामतः प्रबन्ध समिति और प्रिंसीपल अधिक शक्तिशाली हो जायेंगे । स्वायत्तता कालेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें चूंकि स्वायत्तशासी कालेजों की प्रबन्ध समितियां अपने-अपने स्तर पर तय करने को स्वतन्त्र होंगी, इससे न केवल सेवा शर्तों की एक रूपता समाप्त हो जायेगी बल्कि शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा कमजोर होगी प्रबन्ध-समितियां मनमानी करेंगी ।

दूसरा, साधारणतया अल्पसंख्यकों की शिक्षा-संस्थाएं चाहेंगी कि उन्हें स्वायत्त कालेजों का दर्जा दिया जाये । इन

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

कालेजों को जो स्वायत्तता प्राप्त होगी, उसका अल्पसंख्यक वर्ग दुरुपयोग करेंगे, अल्पसंख्यक हितों को राष्ट्रीय हितों पर तरजीह दी जायेगी ।

तीसरा, कालेज एक छोटी इकाई है, इस छोटी इकाई के स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक नीतियां बनाने और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सकते, इसके मुकाबले विश्वविद्यालय एक बड़ी इकाई है जहां ऊंचे दर्जे के पर्याप्त शैक्षिक विशेषज्ञ प्राप्त हो सकते हैं ।

स्वायत्त कालेज की स्थापना के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही मौजूद दोहरापन और गहरा होगा । स्वायत्त कालेजों के रूप में अच्छे कालेज और गैर स्वायत्त कालेजों के रूप में घटिया कालेज, ऐसी दो श्रेणियां बन जायेंगी । आज जैसे विश्वविद्यालय के विभागों में नियुक्त शिक्षकों की तुलना में कालेज शिक्षक दूसरे दर्जे का समझा जाता है, फिर स्वायत्त कालेज के शिक्षक के मुकाबले गैर स्वायत्त कालेज का शिक्षक घटिया दर्जे का समझा जायेगा जिससे शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा ।

यदि किसी संस्था के विकास के लिए स्वायत्तता इतनी वांछनीय वस्तु है तो फिर कुछ चुनी संस्थाओं को ही स्वायत्तता क्यों दी जाये, सभी संस्थाओं को स्वायत्तता क्यों न दी जाये ।

स्वायत्तशासी कालेज बनाने के लिए केवल वही कालेज चुने जा रहे हैं जो पहले ही अच्छे कालेज माने जाते हैं । यदि ये कालेज मौजूदा एफिलिएटिंग सिस्टम के अन्तर्गत अच्छे कालेजों के रूप में उभर सके हैं तो जरूरत इस बात की है कि हमें मौजूदा एफिलिएटिंग सिस्टम को ही अधिक चुस्त, कुशल और प्रभावी बनाना चाहिए और मुट्ठी भर कालेजों को विश्वविद्यालय की छत्रछाया से अलग कर दें ।

सरकारी नीति में अन्तर्विरोध है । एक ओर सरकार कालेजों को स्वायत्तशासी बनाने का दिखावा कर रही है और दूसरी ओर विश्वविद्यालयों की स्वयत्तता पर लगातार हमले किये जा रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो स्वायत्त संस्था न रह कर सरकार का एक महकमा भर बनकर रह गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कथनी और करनी में भारी अन्तर है । वह बात स्वायत्तत की करता है पर आचरण और व्यवहार में उत्तरोत्तर केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है । यह केन्द्रीकरण यू०जी०सी० की ओर से या विश्वविद्यालय की ओर से होता है ।

स्वायत्तशासी कालेज की कल्पना नवोदय विद्यालय जैसी ही एलीटिस्ट कल्पना है । इसमें छात्रों को यह मुश्किल है कि हमारी फीस इतनी बढ़ जायेगी कि आउट आफ कंट्रोल हो जायेंगे ।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं । लोगों को यह डर है कि स्वायत्तता से कोई मतलब नहीं रहेगा । तो मैं मान्यवर अपने साथियों की आवाज में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रैफर करने का समर्थन करता हूं । पालिटिकल जितना कम हो अच्छा है । एक ही यूनिवर्सिटी आप न चुनें । 25 सालों में 82 कालेजों का विश्लेषण करके क्या रिजल्ट निकले हैं उनका अध्ययन करके अच्छी शिक्षा नीति बनाइये । इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में स्वायत्त कालेज बनाने का प्रावधान विशेष रूप से किया जा रहा है । जब कि वर्तमान अधिनियम में केवल तकनीकी कालेजों के संबंध में स्वायत्तता का प्रावधान है । नई शिक्षा नीति के तहत स्वायत्त कालेजों पर बल दिया गया है । यह अवधारण नई नहीं है । सन् 1964 --66 में शिक्षा आयोग की संस्तुति में इस पर बल दिया गया था कि

स्वायत्त कालेज बनाये जायें ताकि वे अपना पाठ्यक्रम बना सकें, प्रवेश नीति निर्धारित कर सकें और परीक्षाओं का संचालन कर सकें । पिछले वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरन्तर जोर देने के बावजूद देश में 25 से अधिक ऐसे कालेज नहीं हो पाये । इस समय भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत स्वायत्त कालेजों की स्थापना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के विभागों में भी स्वायत्तता लाने पर बल दिया जा रहा है । इस संबंध में लोगों के मन में आशंकाएं आई हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है । दूसरे राज्यों के शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया है । बिहार में भी बिहार शासन ने पटना विश्वविद्यालय के 10–11 कालेजों को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव किया है और वहां का शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है । विरोध किस कारण से हो रहा है । इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए । वास्तविक बात यह है कि स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं और इसका पता नहीं है कि स्वायत्तता का अर्थ क्या होने जा रहा है । अगर स्वायत्तता में केवल पाठ्यक्रम निर्धारित करना है या प्रवेश की नीति निर्धारित करना है या परीक्षाओं का संचालन करना है और केवल इतनी शक्तियां दी जा रही हैं तो यह एक मायने रखता है । लेकिन अगर उस कालेज के प्रबन्धन की जिम्मेदारी उसे दी जा रही है तो दूसरा अर्थ लगता है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भ्रम इससे भी उत्पन्न हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में एक पैराग्राफ है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आर्पित करना चाहता हूं । इसके पैरा 5.28 में कहा गया है कि जो अनुबन्धित कालेज या महाविद्यालय हैं उनकी संख्या घटाई जाय । इस पैराग्राफ के अध्ययन से ऐसा लगता है कि सरकार भविष्य में महाविद्यालयों को अनुबंधन नहीं देगी, संबंधन नही दिया जाएगा, उसकी स्वायत्ता अपने आप में स्वतन्त्र होगी । शिक्षा की चुनौती दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है और शिक्षा नीति के दस्तावेज में कहा गया है कि इस देश की शिक्षा में निरन्तर गुणात्मक ह्रास हुआ है । कोठरी आयोग ने भी 1964–66 में कहा था कि इस देश में घटिया कालेजों, सब स्टेंडर्ड कालेजों का अधिक विकास हुआ है जिसके कारण शिक्षा में गुणात्मक विकास नहीं हो पाया है । सरकार की मंशा स्वायत्ता से यह है अब कालेजों का अनुबन्धन, सबंधन विश्वविद्यालय में नहीं होगा और महाविद्यालय स्थापित होने पर उन्हें स्वायत्ता दी जायेगी । कुछ सवालों के आधार पर हमें आशंका है कि शिक्षा में इससे भयानक अराजकता फैल जायगी । इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है । दूसरी बात शिक्षक संघ ने अभी उठाई है कि अगर प्रबन्धन की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जायेगी तो प्रबंध समिति कैसे गठित होगी । जो सूचना मिली है अभी तक उस सूचना से यह स्पष्ट है कि ऐसी प्रबंधन समितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार का वर्चस्व होगा । इस बात की आशंका है कि ये सभी महाविद्यालय पूर्णरूप से सरकार के नियंत्रण में होंगे । उन्हें इस बात की आशंका है कि ऐसे कालेज, ऐसे महाविद्यालय विश्व-विद्यालय से पूर्णरूप से अलग-थलग हो जायेंगे । साथ ही उनको इस बात की आशंका भी है कि नियुक्ति की जो वर्त-मान पद्धति में प्रबंधन समिति की क्या दृष्टि होगी । किस प्रकार से शिक्षकों की सेवाएं सुनिश्चित होंगी, शिक्षा नीति के दस्तावेज में ऐसे स्वायत महाविद्यालयों के बारे में कहा गया है कि भारत सर-कार की ओर से सहायता की पद्धति के बारे में कुछ सिद्धांत होंगे । अगर ऐसा है तो फिर प्रबंधन में शिक्षकों के हितों का संरक्षण कैसे होगा ? इस संबंध में भारत सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए । जब तक इस सम्बन्ध में भारत सरकार की स्पष्ट दृष्टि नहीं होती, जब तक ये तमाम बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं शिक्षक समुदाय इसे सहज स्वीकार नहीं

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

कर सकता है। उनकी आशंकायें इस वक्त जायज मालूम पड़ती हैं। स्वायतता तथा नई शिक्षा पद्धति का समावेश आप शिक्षा में करने जा रहे हैं। यहां पर निजी प्रबधकों द्वारा संचालित महाविद्यालयों को सरकार के या विश्वविद्यालय के नियंत्रण में लाने की मांग वर्षों से होती रही है। तमाम राज्यों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है जैसे बिहार का उदाहरण लें। बिहार में अधिकांश 90 प्रतिशत महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्वामित्व में हैं। लेकिन अब जो नये महाविद्यालय खुले हैं या खुलने वाले हैं उन्हें अलग स्वायतता दी जायेगी तो उनका क्या स्वरूप होगा? क्या सरकार की यह मंशा है कि विश्वविद्यालयों को जो यह शक्ति दे रहे हैं, उनके नियंत्रण में स्वशासी आप दे रहे हैं तो वैसे विशिष्ट महाविद्यालय को किस तरह वह दर्जा दिया जायेगा, उनका सामान्य दर्जा क्या होगा? शिक्षा के व्यापक विकास और परीक्षा आदि की कुशलता की बातें हैं उनको ध्यान में रखकर यह किया जायेगा। दूसरा यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक एक्रेडिटेशन एण्ड एसेसमेंट कौंसिल की अवधारणा है वह क्या है? वैसे सभी स्वायत महाविद्यालय इस कौंसिल के सदस्य होंगे। इस कौंसिल द्वारा उस महाविद्यालय के शिक्षकों का परीक्षण होगा तथा उनकी योग्यता को आंका जायेगा और उसके आधार पर भविष्य के लिए इन महाविद्यालयों की शिक्षा नीति निर्धारित की जायेगी। महोदय, इन स्वायत महाविद्यालयों के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां और आशंकायें व्याप्त हो गई हैं। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं इस स्वायतता की अवधारणा अमेरिकन प्रणाली है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों को छूट होती है कि वे जिस प्रकार का भी पाठ्यक्रम स्वीकार करना चाहें स्वीकार कर सकते हैं। अपने देश ने ब्रिटिश प्रणाली को स्वीकार किया है और अपने देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का पाठ्यक्रम वर्षों-वर्षों तक चलता रहता है। शिक्षा नीति के दस्तावेज में भी इस बात पर बल दिया गया है कि हमारा पाठ्यक्रम काफी पुराना पड़ गया है और हमारी आवश्यकताओं का समावेश नये पाठ्यक्रम में होता नहीं है इससे तत्काल नयी पद्धति स्वीकार करने में कठिनाई होती है लेकिन विश्वविद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों की प्रतिभा का समुचित उपयोग करने के लिए जो नयी योजनाएं भारत सरकार की होंगी वह स्वागतयोग्य होंगी लेकिन एक बात अवश्य विचारणीय है वह यह कि इस देश की शिक्षा में समाज के बहुत बड़े तबके का अभी तक प्रवेश नहीं हो पाया है और एक सर्वेक्षण के मुताबिक यह जानकारी मिलती है कि इस देश के तमाम संगठित क्षेत्रों पर, शिक्षण संस्थाओं पर, सरकारी सेवाओं में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, केवल पांच प्रतिशत परिवारों का वर्चस्व स्थापित है और 95 प्रतिशत विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के जो हैं उनका प्रवेश हुआ ही नहीं है। हमारे यहां लोकतान्त्रिक प्रणाली है, समाजवादी राष्ट्र की हमारी परिकल्पना है। हमने संविधान की प्रस्तावना में बराबरी की बात कही है, समान अवसर की बात कही है लेकिन व्यवहार में हम सब को समान अवसर दे नहीं सके हैं। इस नई शिक्षा नीति में नयी उम्मीदें लोगों में जगी हैं कि समाज में उसी तबके, उसी वर्ग को, समुदाय को अवसर मिलेगा जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित रहे हैं इन सुविधाओं से। आज समाज में तनाव का एक मुख्य कारण है कि बहुत बड़ा तबका आधुनिक सुविधाओं से वंचित है संगठित क्षेत्र की सुविधाओं से वंचित है। इसलिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की शिक्षा में ऐसे वर्गों का प्रवेश बड़ी संख्या में नहीं हो पाया है और ऐसे वर्गों का प्रवेश बड़ी संख्या में क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से बड़े कमजोर हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और पिछले कई वर्षों में वे दबे रहे हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। इस उच्च शिक्षा की परिकल्पना अगर समानता की दृष्टि से की जाए और बराबरी की दृष्टि से की जाए, सब को हिस्सेदारी देने की दृष्टि से की जाए तो जरूर हम को नये ढग से सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार के लिए बड़ा आवश्यक है कि जब शिक्षा के संबंध में कोई चिन्तन

करे या कोई संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करे तो उसका मार्गनिर्देशक सिद्धांत होना चाहिए उस परिवर्तन से संशोधन से ऐसे तबकों को कैसे लाभ दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं । अगर आर्थिक सहायता बड़ी मात्रा में ऐसे समुदाय के बच्चों को दे नहीं सकेंगे, उनके बच्चों में आकर्षण पैदा नहीं कर सकेंगे तो सामाजिक तनाव और जो मानसिक द्वंद लोगों के मन में इन दिनों बढ़ता जा रहा है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। एक बात हमारे माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे थे कि यह स्वायतता की बात कर रहे हैं आप कालेजों के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में लेकिन विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है? क्या विश्वविद्यालयों में स्वायतता है ? केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी उनके विभिन्न संकाय निकाय कार्यरत नहीं हैं, उनके कोर्ट नहीं हैं, एग्जीक्युटिव कौंसिल नहीं हैं, एकेडेमिक कौंसिल नहीं हैं तथा दूसरी सस्थाएं भी नहीं हैं। शिक्षकों और विद्यार्थी की जो साझेदारी विश्वविद्यालय प्रबन्धन में होनी चाहिए वह नहीं है। बिहार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और यह विचारणीय भी है इस दृष्टि से कि वहां के विश्वविद्यालयों की सवायतता पूर्णतया समाप्त कर दी गई है। कई वर्षों से वहां न सिनेट है, न सिंडीकेट है, न एकेडेमिक कौंसिल है और न वहां पाठ्यक्रम निर्धारण करने की समिति है और सारी शक्ति कुलपतियों में निहित कर दी गई है। अनुमान किया जा सकता है कि जहां 100/50 महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उसका प्रशासन केवल एक कुलपति कैसे चला सकता है और जब उस विश्वविद्यालय के प्रशासन में छात्रों की, शिक्षकों की साझेदारी नहीं हो तो फिर विश्वविद्यालय की क्या परिकल्पना है । बिहार में अभी हाल में एक घटना घटी है और उस पर भी मैं भारत सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है चूंकि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कराने के पीछे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मंशा यह थी कि शिक्षा में एकरूपता लाई जा सके, राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम राज्यों में प्रसारित कर सकें और यह बड़ी कमजोरी रही है, बड़ी कमी रही है । शिक्षा की चुनौती है, एवं नये दस्तावेज में भारत सरकार का जो अध्ययन है उसमें इन तमाम बातों पर प्रकाश डाला गया है। राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। शिक्षा का स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। विश्वविद्यालयों के प्रशासन में राजनतिक हस्तक्षप इतना बढ़ गया है कि उनकी स्वायतता पूर्णरूप से समाप्त हो गयी है । बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति अस्तव्यस्तता की है। भारत सरकार को चाहिए कि जब समवर्ती सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है तो एक माडल अधिनियम का प्रारूप तैयार करे । सभी राज्यों को विवश करे कि एक प्रकार का अधिनियम पारित करें, एक प्रकार का प्रशासन सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाये । विश्वविद्यालय के कुलपति की मर्यादा हो। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति की क्या मर्यादा है ? इसी से अनुमान किया जा सकता है कि कुलाधिपति के प्रसाद पर्यंत उनकी सेवा होगी । तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति, कोई भी विद्वान, कोई भी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है क्या ? जो घटिया किस्म का व्यक्ति होगा, जो खुशामदी होगा, सरकार के पसंद के लायक काम करना चाहेगा वैसा व्यक्ति ही कुलपति पद को स्वीकार कर सकता है और वैसे कुलपति से विश्वविद्यालय में स्वच्छता और कुशलता की ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है । बिहार की हालत इन दिनों बहुत खराब होती जा रही है और सबसे दुखद यह हुआ है कि पीछे दो दिन पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डा० शकूर रहमान की बर्खास्तगी इसलिए की गई कि कुलाधिपति द्वारा आयोजित बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे। यह बात समझ में नहीं आती है । एक छोटे से चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की बर्खास्तगी इस आधार पर नहीं की जा सकती है। जो दैनिक मजदूरी पर काम करता है ऐसे मजदूर की छंटनी भी नहीं की जा सकती है और आपको जानकारी होगी, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि काश्मीर विश्वविद्यालय में 15–20 साल तक प्रोफेसर रहने वाले व्यक्ति उस विश्वविद्यालय का कुलपति था। वहां विश्वविद्यालय की मर्यादा समाप्त हो गई थी, भ्रष्टाचार व्याप्त हो

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

गया था, प्राप्तांक बांटे जा रहे थे, डिग्रियां बेची जा रही थीं और ऐसे भारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश डा० शकूलर रहमान ने की लेकिन किसी राजनैतिक नेता के साथ उनका बनाव नहीं हुआ तो ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्ति को अपमानित किया जाये तो फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा का क्या मान होगा। जो नयी स्प्रिट, जो भावना प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने नयी शिक्षा नीति के अंदर व्यक्त की है यह उसकी अवमानना, उसका खुला उल्लंघन है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी बातों में राज्य सरकार को छूट नहीं होनी चाहिए। समवर्ती सूची में शिक्षा रखने की इंदिरा गांधी की मंशा थी कि हम शिक्षा में एकरूपता लायेंगे, एक मर्यादा लायेंगे, एक स्वच्छता लायेंगे और आज विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर आघात हो रहा है, बड़ा प्रहार हो रहा है और भारत सरकार अगर मूक दर्शक होगी तथा राज्य सरकारों को ऐसी कार्यवाही करने की छूट देगी तो शिक्षा पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव क्या होता है यह हमने पिछले सालों में देखा है जब 1974 में बिहार में बड़ा आंदोलन चला था विश्वविद्यालय से आंदोलन प्रसारित हुआ था। जब सरकार के स्तर से, मंत्री के स्तर से हस्तक्षेप होता है, प्राप्तांक दिलाने में या नियुक्ति कराने में या प्रोन्नति दिलाने में तो विश्वविद्यालय में अशांति फैलती है। एक छोटी सी कार्यवाही उस जमाने में शिक्षा मंत्री की ओर से की गयी थी उस पर बड़ा बवण्डर हो गया था और जो बिहार में इस समय डा० शकूलर रहमान की बर्खास्तगी की गई है इससे इस बात की पूरी संभावना है कि वहां विश्वविद्यालय क्षेत्र में अशांती फैल सकती है। अभिभावक प्रसन्न हैं, शिक्षक प्रसन्न हैं, विद्यार्थी प्रसन्न हैं केवल कोई राजनेता प्रसन्न न हो और वह भी इसलिए कि घटिया किस्म के भ्रष्टाचार में वहां के वाइस चांसलर साझीदार न हो रहे हों या भ्रष्टाचार के नियंत्रण को कम कर रहे हों जिससे उस राजनेता के स्वार्थ पर आघात पहुंचा हो, अगर ऐसी बातों पर भारत सरकार तटस्थ रहेगी, मूक दर्शक रहेगी तो नई शिक्षा नीति का कोई मान नहीं होगा और जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। जब तक भारत सरकार साकार भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में निभाने की कोशिश नहीं करेगी। एक बात यह भी आवश्यक है कि कालेज

5.00 P.M.

के बारे में आशंका लोगों को है कि उनकी सेवा विश्वविद्यालय से अलग हो जायेगी और उन्हें आर्थिक संकट का मुकाबला करना पड़ेगा। जो अभी प्रावधान किया गया है या जो शंकायें समाचार-पत्रों में हुई हैं कि चार लाख, छः लाख या सात लाख वार्षिक अनुदान होंगे जो पर्याप्त हो ही नहीं सकते उनके प्रबंधन और संचालन के बारे में इसलिये आपको आश्वस्त करना ही होगा कि उनकी कोई वित्तीय कठिनाई नहीं होगी और ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें कि निजी प्रबंधन में ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना की जाय और उन्हें कैपिटेशन फीस लेने की छूट दी जाय। क्योंकि कैपिटेशन फी की समाप्ति के संबंध में भी तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बार-बार हिदायतें जारी की थीं और भारत सरकार की हिदायतों के बावजूद भी आंध्र और कर्नाटक में कैपिटेशन फी की समाप्ति नहीं हो पाई है। लेकिन बिहार में यह समाप्त की गई है। बिहार में जिन महाविद्यालयों में चाहे वे अभियंत्रण महाविद्यालय थे, चाहें वे चिकित्सा महाविद्यालय थे उनका अधिग्रहण सरकार ने कर लिया और कैपिटेशन फी को पूर्ण समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी भारत सरकार की मंशा के बावजूद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे अभियंत्रण और चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं निजी प्रबंधन और स्वामित्व में तो क्या भविष्य में इसी प्रकार के महाविद्यालय फिर से निजी प्रबंधन में चालू किये जायेंगे ? जो बातें कही गई, जो परिकल्पना की गई इस संबंध में बिना देखे ऐसे महाविद्यालयों को हम स्वायत्तता प्रदान कर दें यह गलती कभी नहीं की जानी चाहिये। आज जो महाविद्यालय हैं विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के स्वामित्व में चलने वाले महाविद्यालय हैं, जहां कुशलता है, जहां योग्य शिक्षक हैं, जिनकी परीक्षाएं अच्छी हैं, वैसे महाविद्यालयों को ही आप स्वाययता प्रदान करें। घटिया किस्म के महाविद्यालयों के

बीच में स्वायतंता की होड़ नहीं होने दीजिये और नये महाविद्यालयों को कभी भी स्वायत्तता देने की बात नहीं सोची जानी चाहिये। 10 साल, 20 साल, 25 साल से जो स्थापित है अपने क्रियाकलाप से सरकार को जनता को संतुष्ट किया है ऐसे महाविद्यालयों को ही स्वायतता देने की बात सोची जानी चाहिये । अन्यथा जो शिक्षा के संबंध में कहा गया है भारत सरकार की ओर से शिक्षा नीति में जब विश्वविद्यालय के हालात, महाविद्यालय के हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी अनेक समस्यायें हैं । यह कहा गया है कि शोध और अनुसंधान का प्रबंध नहीं है और इस देश की जो बड़ी-बड़ी शोध सस्थायें हैं वे सरकार के हाथ में हैं विश्वविद्यालय में नहीं जहां कि शोध, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मुख्य केन्द्र विश्वविद्यालय में होने चाहियें लेकिन अपने देश में अलग से ऐसी संस्थाओं का संचालन हुआ है, प्रबंधन हुआ है, विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का, अनसंधान का, शोध का केन्द्र होना चाहिये और इस बात का ध्यान किया गया कि इस समय विश्वविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, अधिक पूंजी की आवश्यकता विश्वविद्यालय को है जिसकी पूर्ति भारत सरकार की ओर से की जानी चाहिये तभी उच्च शिक्षा से जो अपेक्षा है, राष्ट्र की ओर अपेक्षा है प्रधान मंत्री की नई नीति से उस अनुरूप विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का संचालन हो सकेगा। इसलिये मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अनेक प्रकार की भ्रांतियां स्वायतता के संबंध में हैं । अगर सही बातें सही रूप में रखी जायें तो शिक्षक संघ की आपत्ति भी समाप्त होगी और योग्यता और क्षमता के आधार पर स्वायतता का गौरव वे स्वीकार करेंगे और मानेंगे कि इस मापदंड पर और उनकी कुशलता पर आप उन्हें यह मर्यादा दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं तो उसे वे अस्वीकार नहीं करेंगे। अभी उन्हें लगता है कि विश्वविद्यालय से अलग करके आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं इसलिये तत्काल आप उनको पाठ्यक्रम की छूट दीजिये, परीक्षा संचालन की छूट दीजिये लेकिन प्रबंधन में विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग न करिये और लोगों के मन में यह धारणा भी नहीं बननी चाहिये कि ये स्वायत्त संस्थायें पूर्ण रूप से सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत हो जायेंगी, उनका स्वामित्व हो जायेगा, उनका वर्चस्व हो जायेगा, जो शिक्षकों ने वर्षों-वर्षों से शिक्षक सघर्ष से हासिल किया है उस पर कोई अघात पहुंचने वाला है । अगर ये आशंकायें दूर होंगी तो निश्चित रूप से लोग इसका स्वागत करेंगे । इन शब्दों के साथ इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

SHKI ASHIS SEN (West Bengal): Sir, we are very much thankful to Dr. Jagannath Mishra for his half-an hour exhilarating speech. He has given us a lot of information. But I could not follow whether he spoke on the Bill before us or about the Universities in Bihar in general. I do not know whether he supported the autonomy provision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): He has supported it at the very outset.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pra-J ish): HE has supported it.

SHRI ASHIS SEN: I thought he was speaking on the Delhi University Bill. But, ultimatetely he spoke as Dr. Jagannath Mishra, the former Chief Minister of Bihar.

श्री राम अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । . . . **(व्यवधान)** . . .

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): राम अवधेश सिंह जी का भाषण है, कोरम पूरा होना चाहिये ।

ठाकुर जगत पाल सिंह (मध्य प्रदेश): मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि राम अवधेश जी के दल का कोई माननीय सदस्य नहीं है, कोरम पूरा है ।

श्री राम अवधेश सिंह : जी हां, घंटी बजाई जाय । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री पशुपति नाथ सुकुल : कोरम तो है। मगर इनकी पार्टी को सुनने वाले इनके दल के ही लोग नहीं हैं।

उप-सभाध्यक्ष (श्री सत्यप्रकाश मालवीय): राम अवधेश सिंह जी, आप जारी रखिये।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, शिक्षा जैसे विषय पर सदन में जब चर्चा हो तो बिल्कुल दलगत भावना से ऊपर उठकर बातचीत करनी चाहिये और इसका आभास अभी माननीय सदस्य डा० जगन्नाथ मिश्र के भाषण से हमको मिला है और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के भाषण सत्ता-पक्ष की ओर से और होते, तो मुझे खुशी होती और देश की जनता को भी खुशी होती। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सत्ता पक्ष का जो भी आदमी उठता है, वह क्रिटिकल ढंग से किसी बिल का समर्थन नहीं करता है बल्कि आंख मूंदकर उसका समर्थन करता है। इस तरह से राष्ट्र नहीं बनता है। शिक्षा ऐसी चीज है, जो राष्ट्र बनाने वाली चीज है, राष्ट्र के निर्माण की चीज है। इसलिये इस पर बात करते समय हम को दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिये।

महोदय, इस छोटे से संशोधन से शिक्षा-जगत में इतनी बड़ी विषमता का दरवाजा खुलेगा, जिसकी कल्पना आमतौर पर सहज ढंग से नहीं की जा सकती। अभी तक तो यह देश जर्जरित था प्राथमिक विद्यालयों में विषमता की वजह से, प्राथमिक स्तर को पढाई-लिखाई में कितनी विषमता थी और जितनी विषमता है, उससे यह देश जर्जरित है। इस देश की शिक्षा बिल्कुल बीमार सी हो गई है, लकवामार सी हो गई है, इसमें निर्माण की क्षमता खतम हो गई है, प्राथमिक शिक्षा जगत में, लेकिन इस संशोधन से उच्च शिक्षा जगत में भी विषमता का दरवाजा ऐसा खुलेगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इसका इतना मारक परिणाम इसके खिलाफ होगा, जिसको सहज ढंग से आप अनुमानित नहीं कर सकते। यह इसलिये बनाया जा रहा है कि स्वायतता का नाम देकर, मैं कह सकता हूं थोड़ा कड़ा लफ्ज होगा, यह इलिट क्लास के लिये, धनी बाप के बेटों के लिये बढ़िया से बढ़िया कालेज स्वायतता के नाम पर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे प्राथमिक शिक्षा में अलग-अलग 14, 15 तरह के स्कूल होंगे। महोदय, बिना ब्लैक बोर्ड के, दरी और टाट के स्कूल भी चलते हैं और एक हजार से लेकर दो हजार रुपया प्रतिमाह खर्च करने वाले स्कूल भी चलते हैं। यह प्राथमिक शिक्षा जगत में इतनी विषमता है। उसी तरह से अब एक ही विश्वविद्यालय में स्वायतता के नाम पर इतनी तरह के कालेज बनाए जाएंगे जिसकी कि कल्पना नहीं की जा सकती है। एक ही विश्वविद्यालय में पचासों, सैकड़ों ऐसे कालेज बनेंगे जिनका पढ़ाई का स्तर अलग होगा। उसका सिलेबस बनाने, परीक्षा पद्धति का उसको अधिकार देकर पूरी स्वायतता देने की जो व्यवस्था की गयी है उसमें सिलैबस अलग ढंग के बनेंगे और परीक्षा लेने से अंक देने तक के भी अलग-अलग प्रावधान होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि एक ही विश्वविद्यालय में सैकड़ों तरह के कालेज खुलेंगे, सैकड़ों स्टैंडर्ड के कालेज खुलेंगे। उसमें बड़े बाप के बेटों के लिए बढ़िया कालेज बनेंगे और जो कैपिटेशन फी की समाप्ति की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कही थी उसके प्रतिकूल काम होगा। श्रीमती गांधी की जो भावना थी कि शिक्षा में एकरूपता लायी जाएगी, वह एकरूपता समाप्त होगी और विषमता का दरवाजा खुल जाएगा।

महोदय, मैं यह चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी करने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन्होंने कहा है, "केवल वही विश्वविद्यालय जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है, उन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदत्त करेगा जिन्होंने परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है।" इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी मूक दर्शक रहेगी और अलग-अलग कालेज अलग-अलग स्टैंडर्ड स्थापित करेंगे अपनी पूंजी के अनुसार। इसमें कोई दस पूंजीपति मिलकर कालेज

खोल देंगे, कोई एक ही पूंजीपति एक बहुत बड़ा कालेज खोल देगा और उसका स्तर ऊंचा उठाएगा । उसमें जो कैपिटेशन फी देगा, बड़े और धनी बाप का बेटा एक ही विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और जो विद्यार्थी साधारण हमारे जैसे बाप का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा वह उसमें प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकेगा । इस तरह आप उच्च शिक्षा स्तर में भी भारी विषमता का दरवाजा खोल रहे हैं । यही बात डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहीं कि जब शिक्षा को आपने समवर्ती सूची में रखा है और यह आपका पावन और पवित्र उद्देश्य था कि एकरूपता लाएंगे तो एकरूपता लाने के कदम उठाइए (**समय की घंटी**). अगर आप एकरूपता लाने का कदम नहीं उठाते हैं तो और भी गड़बड़ियां होंगी । मान्यवर, जैसा कि श्री जगन्नाथ मिश्र ने बिहार के विश्वविद्यालयों की अवगति के बारे में, दुर्गति के बारे में बताया, मैं एक हल्का मिसाल इधर देना चाहता हूं, मगध विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं सीनेट और सिंडिकेट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कोई नियन्त्रण नहीं है और 26 कालेजों के 26 प्रिंसिपलों को नियुक्ति हुई वहां 2–3 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं वहां के शिक्षक । किस बात के लिए क्योंकि 65 फीसदी अंक प्राप्त जो अनुभवी हैं वैसे शिक्षकों को प्रिंसिपल नहीं बनाया गया बल्कि जिनको 45 फीसदी नम्बर प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए, इन्टरव्यू में उनको प्रिंसिपल बना दिया गया और मात्र इस आधार पर कि अमुक प्रिंसिपल अमुक जाति का है । जाति के आधार पर वहां बनाया गया और वहां के माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे । मैं माननीय शिक्षा मंत्री के मार्फत चाहूंगा कि भारत सरकार इस बारे में सीधे या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए बिहार सरकार से और मगध विश्वविद्यालय से पूछे और दखल दे इस काम में कि जो जूनियर थे, जिनके अंक कम थे, अन्तरवीक्षा में 45 फीसदी वाले, 55 फीसदी वाले जो इन्टरव्यू हुए, वैसे शिक्षकों को प्रिंसिपल क्यों बहाल किया गया जबकि 65 फीसदी, 72 फीसदी जिनके अंक थे, उनको अन्तरवीक्षा में बहाल नहीं किया गया, उनकी नियुक्ति नहीं की गयी और रातों-रात 26 को बुलाकर उनको चार्ज दिया गया . . .

उपसभाध्यक्ष (**श्री सत्य प्रकाश मालवीय**): कृपया समाप्त करें ।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मैं कह रहा हूं कि बहुत संगीन बात है । वे पूरे सूबे में बिहार में आन्दोलन चला रहे हैं, वे सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अभी तक इस पर कोई सरकार की ओर से या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की ओर से सुनवाई नहीं हुई है । तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बहुत संगीन मामला है इसमें 26 प्रिंसिपलों की जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति को रद्द करने के लिए भारत सरकार कार्रवाई करे–सीधे, सीधे तो नहीं मैं कह सकता हूं लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यपाल के जरिए भी दबाव डाला जा सकता है और उनको अन्तरवीक्षा के जो नम्बर दिए गए हैं वे नम्बर आप मांगा के देख सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उस बात में सच्चाई है कि नहीं । अगर इस बात में सच्चाई है तो यह इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि कोई कुलपति इतनी मनमानी और इतनी धांधली करे कि वह सारी मर्यादाओं को तोड़ दे और फिर इस ढंग से वहां करे जैसे कोई अधिनायक करता है ।

मान्यवर, अपने को समाजवादी कहने वाली इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी तो कहती लेकिन समाजवादी शब्द की बू भी नही है । ठीक ही श्री जगन्नाथ मिश्र न कहा कि जो यह एटोनोमी की परिकल्पना है वह हम *आयात कर रहे हैं* अमेरिकी की शिक्षा पद्धति से । क्या किसी समाजवादी देश में . . .

उप-सभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): कृपया आप समाप्त कीजिए । जितना आपका समय है उससे काफी ज्यादा हो गया है ।

श्री राम अवधेश सिंह : दो मिनट ही तो ज्यादा हुए हैं... (**व्यवधान**).... महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की एटानोमी विषमता-मूलक स्वायत्ता क्या किसी समाजवादी देश में है ? क्या रूस में है, क्या युगोस्लाविया में है, क्या रुमानिया में है, क्या स्वीडन में है, नार्वे में है, किसी समाजवादी देश में है, यह पूंजीवादी पद्धति है जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज में है, स्वायत्तता के नाम पर विषमतामूलक शिक्षा वे चलाते हैं और अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की संस्थाएं खड़ी करते हैं । आप भी यही कह रहे हैं कि स्वायत्तता दे रहे हैं । स्वायत्तता जैसे लुभावने शब्द में आपकी भावना सही नहीं है, आप पूंजीपतियों के बच्चों के लिए, भ्रष्टाचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति तैयार कर रहे हैं और स्वायत्तता के नाम पर एक ही विश्वविद्यालय में तरह-तरह के कालेजों की स्थापना करने की आपकी यह साजिश है । इसलिए यह जन विरोधी है, यह जनता की भावनाओं के प्रतिकूल है, आम जनता के हित के खिलाफ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप विवेकपूर्वक कदम उठाएं और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें ताकि इस पर ठीक से विचार हो सके और इसमें और भी जो संशोधन आवश्यक हैं वे किए जा सकें ताकि नई शिक्षा नीति की जो मूल भावना है उसको आप सही ढंग से लागू कर सकें और उस दृष्टि से उसमें संशोधन किए जाएं ताकि यह जन विरोधी जो इसका उद्देश्य है वह खत्म हो सके । उद्देश्य अच्छा बताकर घटिया काम करना अच्छा नहीं है । आप चाहें कि अच्छा काम हो जाए तो होगा नहीं । आपका उद्देश्य भले ही अच्छा हो, लेकिन इसका अंजाम बुरा निकलेगा । सांचा अगर मिट्टी का भी हो और आप शेर बनाएंगे तो उससे शेर की ही तस्वीर निकलेगी ऊंट या हाथी नहीं निकलेगा । जो बिल आप बना रहे हैं उससे जो उच्च शिक्षा निकलेगी वह ऐसी निकलेगी जो विषमतामूलक होगी और ऐसी विषमतापूर्वक होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । अगर लागू हो गई यह आपकी स्कीम तो हम कल्पनातीत विषमता में फंस जाएंगे । धन्यवाद ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : श्रीमन्, कल से जो बातें हो रही हैं सदन में उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और बहुत संक्षेप में उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : पूरे विस्तार में आइए ।

श्री एल०पी० साही : अच्छी बात है । कल यह बात कही गई कि स्वायत्त संस्थाओं के बनाने से ऐवलीटिस्ट लोगों का इसमें प्रभाव बढ़ेगा । आज भी कुछ सदस्यों ने इस बात को दोहराया है । तो मैं सदन के सामने आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि संस्थाओं को आज भी हम एक दूसरे के ऊपर या नीचे मान लेते हैं या बना देते हैं । आज दिल्ली युनिवर्सिटी की बात ले लीजिए तो किसी महाविद्यालय में 80 प्रतिशत से ऊपर के ही विद्यार्थियों का नामांकन होता है । उसके बाद किसी दूसरे में 75 प्रतिशत के ऊपर होता है, तीसरे में 70 प्रतिशत के ऊपर होता है, तो आज भी जो संस्थाएं जैसी हैं, उनकी मान्यता वैसी बनी हुई है, आटोनोमस हों या न हों, आज भी हम किसी को ऊंचा मानते हैं किसी को नीचा मानते हैं । तो हम एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसमें कंपिटिशन आए, जिसमें सब आगे बढ़ने की कोशिश करें । अगर इस विधेयक पर ध्यान दिया जाए तो इसमें यही है कि दिल्ली विश्वविद्याशय के जो टेक्निकल और मैनेजमेंट के इंस्टीटयूशंस हैं उनको उनको स्वायत्तता दी जाए । जनरल एजुकेशन में जहां सीधे आर्ट्स, कामर्स और साइंस की पढ़ाई होती है उन

कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने का अधिकार दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आधा अधिकार उसको पहले से ही है हम उस को एक्सटेंड कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने जनरल पालिसी पर भाषण दिया है और बहुत आशंकाएं व्यक्त की हैं उसकी गुंजाइश इस छोटे से अमेंडमेंट में तो नहीं है

श्री राम अवधेश सिंह : इसी में दरवाजे खुल रहे हैं।

श्री एल०पी० साही : जो आशंकाएं शिक्षकों के बारे में व्यक्त की गयी हैं मैं साफ करना चाहूंगा कि यह स्वायत्तता किसी संस्था के ऊपर से लादी नहीं जा रही है। जब तक वह कालिज खुद नहीं दर्खास्त देता है तब तक बात चलेगी नहीं। युनिवर्सिटी को स्वायत्तता नहीं देता। यू.जी.सी. किसी को स्वायत्तता अपने से डिक्लेयर नहीं करता। जब वह वकील या संस्था जिसे स्वायत्तता चाहिए इसके लिए दर्खास्त देगा, अपना प्रस्ताव लायेगा तब उसका विवेचन होगा कि इसके लायक है या नहीं। इसके पास इतनी संस्थाएं हैं या नहीं, विद्यार्थी हैं या नहीं, मकान या बिल्डिंग है या नहीं, लाइब्रेरी है या नहीं, लबोरेटरी है या नहीं। इसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है।

श्री राम अवधेश सिंह : कानून बनते-बनते हजारों संस्थाएं खड़ी हो जायेंगी।

श्री एल०पी० साही : इसका प्रावधान दोनों तरफ के सदस्यों ने किया है। यह जो रिकमेंडेशन है सबसे पहले 64 से 66 में जो शिक्षा आयोग बना है, डी.एस. कोठारी जो इस देश के जाने-माने विद्वान हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, इसी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके अंदर सिर्फ 22 संस्थाओं को स्वायत्तता दे सका अभी तक। अब ऐसा विचार हुआ था कि यह जो एक्सपेरीमेंट है जो सिर्फ 22 संस्थाओं के ऊपर हुआ उनकी संख्या बढ़े। अब ये 62 संस्थाएं हो गयी हैं। सम्भव है हम कुछ और ऐसी सस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान कर सकें जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जितना ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है उससे ज्यादा ट्रस्ट इस बात पर है कि हमें क्या कैरीकुलम बनाना है, क्या कोर्स आफ स्टडी बनानी है। एक तरफ यह बात होती है कि सभी जाकर जकड़ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी की फाइलों में जाकर जकड़ जाते हैं। अगर हमें किसी को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं और वे अपनी इच्छानुसार नया कोर्स शुरु करते हैं। तो उसका हम क्यों न सहायता दें, क्यों न उसकी पीठ पोंछें। देखिए बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गयी। लेकिन मद्रास यूनिवर्सिटी ने इसके लिए पांच साल के बाद एक कमेटी बनायी थी, रेव्यू कमेटी। उस रेव्यू कमेटी ने क्या पाया। सबसे ज्यादा संस्थाए तमिलनाडु में हैं। उस रेव्यू कमेटी ने क्या पाया उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

"Some of the colleges have sincerely tried to upgrade the structure and provide extra courses of practical and skill-oriented studies. Teachers and students were found to be adequately motivated to work out the autonomous status successfully though some of them have a feeling that they have to work more under autonomous status. Colleges have been able to hold examinations and declare results intime. Teachers are involved in framing of syllabi and there is considerable enthusiasm in making innovations. Some students and teachers have, however, reservations that the periodic tests and assignments involve considerable workload on them. Some students have expressed their unhappiness that innovative evaluation procedures make their performance difficult to compare with those of students from other colleges. On the whole, the Committee was satisfied with the experiment and felt that the auonomous status

had contributed significantly to the performance of the colleges." On the basis of this report, the autonomous status of these colleges has been extended in Tamil Nadu.

एक यूनिवर्सिटी ने इवेल्यूएशन कमेटी बनाई और उसकी जो रिपोर्ट है उसको मैंने सदन के सामने पेश किया । इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हमने नई दिशा में बढ़ने की कोशिश की है। यह सही है कि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों को ज्यादा समय खटना पड़ा है । यह मानी हुई बात है, इसमें मैं भी दूसरी राय नहीं रखता । लेकिन देखना होगा कि समाज का आकार क्या हुआ ? समाज का आकार यही हुआ कि इम्तहान का परीक्षा फल समय पर निकला, नया कोर्स शुरु हुआ, ज्यादा विद्यार्थियों और शिक्षकों को खटना पड़ा । लेकिन समाज आगे बढ़ा, शिक्षा की गाड़ी आगे बढ़ी, ये इसके फाइंडिग्ज हैं जो इवेल्यूएशन कमेटी बनी थी । जहां तक आगे का सवाल है, कोई नई संस्था खुलते ही अटोनोमस हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि अटोनोमस बनने के लिए देखना पड़ेगा कि उनके पास संसाधन ऐसे हैं या नहीं, उनके पास मकान है या नहीं, लेबोरेटरी है या नहीं, लायब्रेरी है या नहीं ,शिक्षकों को वेतन दिया जाता है या नहीं, वहां पर पढ़ने लिखने की क्या सुविधाएं हैं, क्या वातावरण, है, ये सब चीजें देखने के बाद ही कोई संस्था स्वायत्तशासी संस्था करार दी जा सकती है ।

जहां तक दूसरी बहुत सी बातें कही गई हैं, उनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी विश्वद्यालय हैं वे इन स्वायत्त संस्थाओं से बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है । उनका संबंध विश्वविद्यालयों से है । आखिर उनको डिग्रियां तो विश्वविद्यालय से ही मिलेंगी । यह तो एक स्टेप है । पहले कोई संस्था स्वायत्त संस्था हुई और बाद में उसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो आगे चलकर यह डीम्ड युनिवर्सिटी भी बन सकती है । ऐसा इस देश में कई जगहों पर हुआ है ।

उप-समाध्यक्ष (डा० आर०के० पोद्दार) : पीठासीन हुए । इसमें मूलत : इस बात का प्रयास किया गया है कि पढ़ाने की पद्धति, कोर्स और सिलेबस में उन्हें स्वतंत्रता रहे । अब कहने के लिए लोगों ने कहा है कि वे आयल आफ एक्सीलेन्स हो जाएंगे और कोई कहता है कि हम इसमें जल्दी क्यों कर रहे हैं, कांसेन्ट कालेज नेसेसरी हैं, इत्यादि कई बातें कही गई हैं । मैं तो कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं । यह तो छोटी सी तरमीम है। जो अधिकार दिल्ली विश्वविद्यालय को दूसरे कालेजों के बारे में हैं यही अधिकार युनिवर्सिटी को इन कालेजों के बारे में दिये जायें ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो बड़ा घातक है ।

श्री एल०पी० साही : जिसने जैसा चश्मा लगा रखा है, हरा, पीला, या लाल, उसको वैसा ही दीखेगा । जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन वैसी ।

श्री राम अवधेश सिंह : लेकिन आपको मालूम है, देखन में छोटे लागे, घाव करें गम्भीर ।

श्री एल०पी० साही : श्री लक्ष्मण ने कई बातें कही हैं जिनसे पता लगता है कि शिक्षण संस्थाओं से उनका संबंध रहा है । डा. जगन्नाथ मिश्र ने भी कई बातों का जिक्र किया है । उनका भी कई शिक्षण संस्थाओं से संबंध है । तो यह बात मानी हुई है कि आज की परिपाटी में 74 परसेंट वाला ऊपर हो गया और साढ़े 73 परसेंट वाला नीचे हो गया । अभी यही पद्धति है । इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार कोशिश भी कर रही है । इसके लिए विविध स्थानों पर बातें हुई हैं, विचार-विनिमय हुआ है और इसको हटाने के लिए सरकार चाहती है कि सेमेस्टर

सिस्टम कामयाब हो और उनका इवेल्यूएशन लगातार होता रहे और अगर नम्बर भी दिये जायें तो आधा, चौथाई की वजह से जो नीचे ऊपर हो जाता है उसके ग्रेड रखे जायें, 5-7-10 ग्रेड रखे जायें ताकि जिसका नम्बर पहला था उसको ए ग्रेड दिया जाय और इसी प्रकार से ए+और बी तथा बी+ग्रेड हों। आज जो एक नम्बर से या आधे नम्बर से ऊपर नीचे हो जाते हैं, उस हालत में यह नहीं होगा। लेकिन जो पद्धति अभी तक चली आ रही है उसको बदलने में भी समय लगता है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हम अमेरिकन पेटर्न ले रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वह अमेरिकन पेटर्न नहीं है। अमेरिका ने इण्डियन पेटर्न अपनाया है। हम अपना पेटर्न भूल गये हैं। हमारे यहां ऋषि-मुनियों के अलग-अलग आश्रम हुआ करते थे। कहीं पर व्याकरण की पढ़ाई होती थी तो कहीं पर वेदान्त पढ़ाया जाता था। अमेरिका ने इंडियन पैटर्न लिया है। हम अमेरिकन पटर्न को नहीं अपना रहे हैं। हम अपने पुराने पैटर्न को याद करें।

श्री राम अवधेश सिंह : आज के वैज्ञानिक युग में, इस युग की टेक्नालाजी में क्या चलेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): महोदय, इसमें जो मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य इस पर बोले हैं उनमें श्री कमल मोरारका, प्रो० लक्ष्मन्ना, श्री शंकर सिंह वाघेला और श्री राम अवधेश सिंह ने स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाय। जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं . . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): I also support you!. .. *(Interruptions)...*

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपने भी इसका समर्थन किया है। वही मैं कह रहा हूं कि जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं इस विचार विमर्श में उन्होंने बहुमत से इस बात का समर्थन किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। उधर के माननीय सदस्य श्री पवन कुमार बांसल ने भी कुछ प्रावधानों के संबंध में अपनी शंका व्यक्त की है। इसमें विस्तार से जाने की इस समय मैं आवश्यकता नहीं समझता। श्री जगन्नाथ मिश्र जब अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि इससे शिक्षकों के मन में इस विधेयक के प्रति कुछ भ्रम हैं। उन्होंने भी अपने भाषण में इस विधेयक के प्रति शंका प्रकट की है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे सदस्यों की संशोधन को स्वीकार कर लें और इसको भावनाओं का आदर करते हुए मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Mr. Minister, do you want t_0 say something?

SHRI L. P. SHAHI: No,.Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): I shall now put the amendment moved by Shri Satya Prakash Malaviya to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be referred to [a] Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members, namely: —

1. Shri Chaturanan Mishra
2. Shri Yashwant Sinha
3. Shri Shanker Sinh Vaghela
4. Shri B. Satyanarayan Reddy
5. Shri V. Gopalsamy
6. Shri Kailash Pati Mishra
7. Shri M. A. Baby
8. Shri Mohd. Khaleeur Rahman

[Dr. R. K. Poddar]

9. Shri Dayanand Sahay

10. Shri Satya Prakash Malavjya with instructions to report by the first day of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): I shall now put the motion moved by Shri L. P Shahi to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, bs taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR R K. PODDAR): W_e shall now take' up dause-by-dause consideration of the Bill.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause 1, the *Enacting Formula and the Title wer,o added to the Bill.*

SHRI L. P. SHAHI; sir i move:

That the Bill be passed.

The question *was proposed.*

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, I am opposing. This is third reading.

SFRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Now you cannot.

SHRI N. E. BALARAM: Why not?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R K. PODDAR): What do you want to say?

SHRI V. NARAYANASAMY; Can you show the rules?

SHRI N. E. BALARAM: I can show you the rule. I can show you the convep[r] ons. I can show you everything.

Mr. Vice-Chairman, please send him to his seat.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Just one minute.

t

SHRI N. E. BALARAM; No, Sir. I am opposing it basically.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): On what do you want to speak? In third reading?

SHRI N. E. BALARAM: This is third reading. I am opposing the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): O.K. Go ahead, Sir.

SHRI N. E, BALARAM: I am going to state my reasons and points. Though the idea of autonomous colleges was a part of the New Education Policy, though it was passed by this Parliament, they should know, they should take into consideration the fact that the entire academic world is opposed to this idea; I assert it. Suppose you ask a teacher among the teaching community. They are the proper persons to say something about education. According to the understanding of the teaching community, they have got their own apprehensions about the implementation of this idea of autonomous colleges because education has become business nowadays in India. In some States this business is controlled by liquor kings. Those who are selling liquor, brandy, foreign whisky, everything, have entered education.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह शिक्षा को शराब कह रहे हैं (व्यवधान) यह बहुत गलत बात है (व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह : कर्नाटक में ऐसा ही रहा होगा (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह शिक्षा को समझते नहीं हैं।

SHRI N. E. BALARAM: With money they have entered the area of

education. I can give Mr. Narayanasamy a number of examples in Tamil Nadu.

SHRI V. NARAYANASAMY; Sir, are you referring to Karnataka?

SHRI N. E. BALARAM: I can give a r umber of examples in Tamil Nadu. Why Karnataka? In Karnataka, in Bihar, in Tamil Nadu, in Maharashtra, in Kerala, everywhere a large number of educational institutions are controlled by liquor kings. That is why I say now it has become business. So, we should be all the more careful,

SHRI V. NARAYANASAMY; You are referring to your own Government in Kerala.

SHRI N. E. BALARAM: We are speaking plain facts. You can come to my room. I will explain to you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Let him explain his views.

SHRI N- E. BALARAM: I am explaining my apprehensions. Why are you afraid about the point we are debating? This is a very serious issue. Don't take it lightly. I know that all the teachers in the Delhi University are opposed to it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): He will take more time if you interrupt. Let him finish, please.

SHRI N. E. BALARAM: The entire teaching community in the Delhi University is opposed to this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Please conclude quickly.

SHRI N. E. BALARAM: I am coming. Why do you want these autonomous colleges? Why do you want them now? I ask these questions. What are the advantages of haying autonomous colleges? He spoke about autonomous colleges in Tamil Nadu. T do not want to enter into that controversy now, at present, because it will take much time. There are a number of government colleges under universities, and there are a number of private colleges also affiliated to universities. At least the universities have got minimum control over these colleges now. Now what are you going to do? Now you are going to allow them everything from the preparation of the curriculum to the end of examinations. The entire light, the whole right in the educational field is to be given to autonomous colleges themselves. No body has got any control over it. The only control is that of the so-called UGC. Some time back I was very appreciative of the NGC as an institution. The UGC was doing a big service to the teaching staff and to education.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): From the bosom please strike the right point. Perestroika.

SHRI N E. BALARAM; Too much of Perestroika will be required, because you are playing in the hands of j toddy; liquor kings. Several colleges are going to be controlled by such people. You are giving them the entire right now. Even the minimum authority which the University had over the colleges is going to be taken away. Autonomous colleges means autonomy in examinations, autonomy in curriculum, autonomy in appointment of teachers, autonomy in everything, I don't know what will happen to the teaching world and education. I have my own apprehensions. So far the universities have been controlling it. They have been preparing for the examinations and conducting the examinations. The universities have got Academic Council. They are deciding about text-books and curricula. Now all these powers are being handed over to individual colleges. That is what we mean by the

[Shri N. E. Balaram]

autonomus colleges. What else is the meaning of this new idea? I don't think this new idea will enourage, en rich and improve our education sys tem, It is going to create a number of problems in the coming period for the teachers and the students. There will be corruption everywhere, if this new idea of giving autonomy to the colle ges was debated threadbare in a select committee we would have been able to gather the opinion of several sections of people of the country, but you have rejected that idea. I don't know what is the hurry to pass it overnight. So, I have no other way but to oppose this Bill. When you change the education system you should thing several times before you do so. You should have cooperation of the people who are working in that field. But unfortunately you are "not pre pared to seek the advice and experien ce of those people who are working in that field. The entire teaching com munity is opposed to that All the Teachers associations have passed re solution's against giving autonomy to colleges and have urged you to post pone its passing. That was the request. You did not pay any attention to that. Are they fools? Of course, you have got every right to legislate because you are all powerful. You can do everything in the world. You are taking such an attitude. So, even at this last stage T am going to tell you, please reconsider the whole question because we cannot afford to play with education.I may agree with you on many points, but on this question of giving autonomy, you should think twice bofore you act.That is. my re quest,

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR); You have already spoken.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Yes, but he did not reply to me.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR); All right.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर मंत्री महोदय ने जान-बूझकर मैंने जो शंका व्यक्त की थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है । अगर उसके बारे में कुछ आश्वासन देते तो मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा होता । मैंने दो-तीन मूल बातें कहीं और जान-बूझ कर उनको मंत्री जी ने अपने जवाब में छुआ नहीं है । पहली बात यह है कि मैं माननीय मंत्री जो से सदन में यह आश्वासन चाहता हूं कि जो स्वायत्तता दी जा रही है सिलेबस बनाने की अलग-अलग तो क्या उसका स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालय दुरुपयोग नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी मिल सकती है ? क्योंकि उसमें कैपिटेशन फीस की संभावना बढ़ जायेगी और बड़े लोगों के लिए अलग कालेज खड़े हो जायेंगे और साधारण लोगों के बच्चों के लिए अलग और घटिया किस्म के कालेज खड़े होंगे । जैसे प्राथमिक विद्यालयों में टाट वाले स्कूल भी हैं और डेढ़ हजार रुपये महीना खर्च करने वाले स्कल भी हैं । तो इसके बारे में क्या कैपिटेशन फी नहीं चलेगी ऐसे विद्यालयों में क्योंकि इनका जो मूल संशोधन है एक लाइन का क्या है ? वह कहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय-में टेक्नीकल कालेज, प्रोफेशनल कालेज की अटोनामी है केवल आम शिक्षा के लिए आर्ट्स में, कामर्स में इसमें नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी हैं उसमें से दो-ढाई फीसदी केवल टेक्नीकल और प्रोफैशनल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और बाकी 95 से 97 फीसदी विद्यार्थी आम शिक्षा प्राप्त करते हैं और वही आई. ए. एस. और आई. पी. एस. कंपीट करके देश की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। फिर आप ऐसी शिक्षा पद्धति चलाना चाहते हैं कि आप और विषमता फैलाकर जो साधारण घरों के बच्चे और बड़े घरों के बच्चे भी एक जगह पढ़ सकते थे पब्लिक स्कूल से निकलकर यहां कम से कम उच्चतर शिक्षा में एक जगह बैठकर पढ़ते थे तो उनमें भी आप फिर ऊंची शिक्षा में फर्क कर रहे हैं । इसके बारे में मेरी शंका है ।

दूसरी बात मैंने बिहार के बारे में कहीं थी । दूसरी बात के बारे में मंत्री जी जरा बताएं कि 26 प्रिंसिपलों की नियुक्ति में मगध विश्वविद्यालय में जो धांधली हुई है उसके बारे में क्या यह मगध विश्वविद्यालय

को कोई निर्देश देंगे और साथ ही उसकी अंतरवीक्षा के जो नम्बर हैं, जो अंक है उस की जांच करेंगे कि क्यों ऐसी धांधली की गई ?

इन दोनों बातों का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

SHRI L. P. SHAHI: Sir, this is the last reading of the Bill and j want to allay the fears of my friend, I Will just cite an example of his own State, Kerala. There are more than 7000 high schools in Kerala State and very few of them are under administration of the Government. Although the Government is meeting the entire cost of pay and establishment, they are being looked after by Committees. So is the case in West Bengal. So is the case in Gujarat. So is the case in many other States. Does that go to prove that the standard of education there has fallen down Just because schools are uncer some Committee management? All our IITs are autonomous. The Institutes of Business Administration at Ahmedabad, Bangalore and Jam-shedpur are autonomous institutions. Have the conditions deteriorate^ there? Have they brought it down? Is there any capitation fee charged? So making an institution autonomous is not linked with the capitation fee. Capitation fee is another matter. We know that in some States they are charging capitation fee. Up till now the Government of India or the Technical Education Council did not stop that, but now that the Technical Education Council has been constituted, this year they are going deep into the matter as to how this capitation system can. he abolished and is no more in the picture. So far as Mr. Ram Awadhesh Singh's apprehensions are concerned, there is a provision for close monitoring, there is a provision for evaluation of these autonomous colleges after a period of three years, after a period of five years and when monitoring and evaluation is going on, where is the fear? After all, there are 5,500 colleges in this country. Out of 5,500 colleges, if our target is achieved in time... *(Interruptions)*....

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मेरा जवाब हिंदी में दीजिए। मैं तो अंग्रेजी नहीं समझता हूं।

SHRI L. P. SHAHI: I am also replying to him, not only to you. After all, there are 5,500 colleges... *(Interruptions).*

श्री राम अवधेश सिंह: हमारा जवाब आप हमारी भाषा में दें।

श्री एल.पी. साही : यह ईयरफोन लगाइए।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं अंग्रेजी आपसे ज्यादा पढ़ा हूं, लेकिन कृपया मेरी भाषा में जवाब दीजिए।

श्री एल.पी. साही : आप पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन समझते नहीं। यही दिक्कत है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Let him complete.

SHRI L. P. SHAHI: There is a provision in the guidelines itself for monitoring and evaluation. After all, the degree is to be given by the university. The university has a right to look into its working. The UGC has a right to look into its working. So, there are ample provisions for checking any malpractices and the Member should not only think aobout the other side of it. We should also feel that out pleople are capable..*(Interruptions)*..

श्री राम अवधेश सिंह : मगर विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बोलिए कि विश्वविद्यालय की धांधली के बारे में आप कुछ करेंगे या नहीं ? आप बिहार से आते हैं, आप विश्वविद्यालय की धांधली के बारे में वहां प्रिंसिपल की नियुक्तियों की धांधली के बारे में आप कुछ करेंगे या नहीं ? .... **(व्यवधान)**.... मैंने यह कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन के जरिए या राज्यपाल के जरिए या किसी के जरिए तो आप यह कर सकते हैं। ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (DR, R. K- PODDAR); The question is:

That the Bill be passed. The

motion *was adopted.*

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under'TuD-section (2) of section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, together with an Explanatory Memorandum on the Notifications:—

(i) No. 240/88—Central Excises, dated the 9th August, 1988, prescribing effective rates of basic excise duty for unwrought aluminium and specified aluminium products.

(ii) No, 241/88—Central Excises, dated the 9th August, 1988, increasing the basic excise duty on aluminium sheets from n per cent to 18 per cent if such sheets are intended for use in the electrolytic process for manufacture of aluminium or zinc.

[Placed in Library. See No. LT-6379|88 for (i) and (ii)].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. *233/88*—Customs, dated tha 9th August, 1988, reducing the basic customs duty on aluminium ingots from Rs. 1.000 per MT to Rs. 500 per MT, under secion 159 of the Customs Act, 1962, together with an Explanatory Memorandum on the Notification. [Placed in Library. *See* No. LT-6378/88).

THE DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): Sir, I beg to move-.

That the Bill further to amend the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, be taken into consideration.

Sir, with your permission, I would like tb say a few words while moving the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill, 1987 for consideration and passing of the same. The Dock Workers (Regulation of Employment) Act 1918 does not contain any express provisions for annual reports of the Dock Labour Board being sent to the Government or for laying of the annual reports and the audited accounts of these Boards before the two House? of Parliament. Sir the Committee on Papers Laid on the Table of the House of the 7th Lok Sabha, hag in its 2lst report, presented to Lok Sabha on 14th August 1984, recommended as follows:—

I quote:

"The annual reports and audited accounts of all the Dock Labour Boards should be, in future, laid on the Table of the House along with review- of the Government within nine months of the close of the accounting year and if necessary amendment may be made in the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 or the ru3es, if any, made thereunder, in that regard,"